

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग



उत्तराखण्ड भासन

जनपद — चमोली

वृत्त का नाम:— 7 वां वृत्त, लो०नि०वि०, गोपेश्वर

खण्ड का नाम :— प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, गोपेश्वर

कार्य का नाम:— जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वनभूमि का क्षेत्रफल :— 2.660 हेक्टेयर (सिविल वनभूमि)
मक डिस्पोजल 0.108 हेक्टेयर (सिविल वनभूमि)
कुल क्षेत्रफल — 2.768 हेक्टेयर

CHECK LIST

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
1- Main Attachments			
1.1	Documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency.		Attached
1.2	Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted.		Attached
1.3	Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS.		Attached
1.4	Google Map of the proposed site showing legal status of the proposed land and alternative examined for the project with legend.		Attached
1.5	Note containing justification for locating the Project in forest land.		Attached
1.6	Certificate by DM- Forest Right Act-2006		Attached
1.7	Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation		Attached
1.8	Colored copy of the google map showing the land identified for CA.		Attached
1.9	If non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency? A Copy of ownership proof and No Objection Certificate		Attached
1.10	Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency.		Attached
1.11	Cost benefit anylises (in more then 5.0 ha. Land diversion cases)		Not Required, as the Land Diversion is less than 5.0 HA
1- Additional Documents			
2.1	A short narrative and importance of the project.		Attached
2.2	Administrative and Financial sanction.		Attached
2.3	Preliminary Joint Inspection report.		Attached
2.4	Comperative chart showing statement of both alignment of the proposed project.		Attached
2.5	Certificate from the DM that no alternative suitable non-forest land is available for the project in question and the demand of the forest land for the project is barest minimum.		Attached
2.6	Land schedule		Attached
2.7	Category wise land length, width and area		Attached
2.8	Bar Chart with index		Attached
2.9	Compensatory afforestation scheme in Civil and Soyam land		Attached
2.10	Certificate regarding suitability of indentified land for Comensatory Afforestation		Attached
2.11	Undertaking by the User Agency to bear the cost of compensatory afforestation		Attached
2.12	Road side plantation estimate		Attached

CHECK LIST

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
2.13	Undertaking by the User Agency to bear the cost of Road side /gap filling plantation		Attached
2.14	Estimate of 100 trees plantation (less then 1.0 ha. cases)		Not Required
2.15	Details of the trees with their scientific name		Attached
2.16	Felling of Oak trees (if involves, inspection report of the concerning CF has to be provided)		Attached
2.17	Certificate from DFO If felling of trees is not involved		Not Required
2.18	Certificate of felling minimum trees during the project work		Attached
2.19	Muck disposal scheme		Attached
2.20	Status of the project area is a part of National Park or sanctuary and airtal distance of the project from National Park or sanctuary		Attached
2.21	If the project area is within 10 Km radius of National Park or Centuary No objection certificate of CCF Wild Life		Not Required
2.22	If the Project falling within the National park or Sanctuary, needs recommendation of State Wild Life Board, National Board of Wild Life (NBWL) and permission of Hon'ble Supreme Court/MoEF Gol.		Not Required
2.23	No voilation has taken place, FC Act. 1980 reg		Attached
2.24	NOC from local Gram Sabhas		Attached
2.25	Approved general lay out plan/alignment and estimate from competent authority with name and designation.		Not Required
2.26	Component wise details of construction work.		Not Required
2.27	Certificate- work has not been started reg.		Attached
2.28	Geologist Report		Attached
2.29	Task Force report		Attached
2.30	Item wise details of work		
2.31	Certificate by user agency for complying the condition imposed in Standard Condition		Attached
2.32	Certificate by user agency for complying the condition imposed in geologist report/Task force recommendation in hill areas		Attached
2.33	No historical/monumental or relegeous place will be effected.		Attached
2.34	Undertakoing regarding no animal will be effected adversely by the project		Attached
2.35	Undertading to provide alternative fuelwood, kerosene or LPG to labours involved in project		Attached
2.36	Benefited villages/Families/Population Certificate		Attached
2.37	NPV calculation certificate as per Hon'ble Supreem court /MoEF orders		Attached
2.38	Undertaking of payment of NPV, if Hon'ble Supreem Court increses the rates of NPV		Attached
2.39	Cost of the forest land and lease rent certificate		Not Required
2.40	Certificate of Lease period		Not Required

CHECK LIST

④

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
2.41	Demarcation of land to be diverted		Attached
2.42	Undertaking of user agency to bear the cost for demarcation work		Attached
2.43	Non-availability of non-forest land for compensatory afforestation certificate.		Not Required
2.44	Fact sheet . /Other imp details		Attached

Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Gopeshwar

Executive Engineer
Provincial Division, PWD
Gopeshwar



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

5

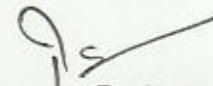
Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr@rediffmail.com

To Whome it May Concern to

Name of Work :- Construction of Mason-Kaphkhet-Dadar motor road at Dasoli Block in District Chamoli. Length 6.00 Km. Under S.C.P.

It is state that Mr. Berindra Singh Bartwal, Assistant Engineer, Provincial Division, P.W.D, Gopeshwar is being authorized to make online submission of Forest Clearance Proposal for the Project as mentioned above on behalf of Provincial Division, P.W.D, Gopeshwar user agent.


Executive Engineer
Provincial Division P.W.D.
Gopeshwar

महोदय,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

परिशिष्ट (देखिये नियम 6) .

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा 2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग - 1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिये)

1- परियोजना विवरण :-

(1) अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण

जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(2) 1-00000 स्क्वैर मीटर पर वन भूमि जोर उत्पन्न आवागमन पर वन की जीवाश्मों को हटाने वाला पैग

मानचित्र संलग्न है।

रु0 162.48 लाख

(3) परियोजना की लागत

(4) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य

उक्त मोटर मार्ग निर्माण से पर्वतीय मासौ, कफलखेत, दादर, देवर आदि गांवों को आवागमन की सुविधा एवं रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। विस्तृत विवरण संलग्न है।

(5) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)

(6) रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है

स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

2- कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्य विवरण

2.66 हे0 वन भूमि उक्त निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करना।

3- परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है -

(1) परिवारों की संख्या

लागू नहीं है।

(2) अनुसूचित जाति/जन जाति के परिवारों की संख्या

(3) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)

4- क्या पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है - (हां/नहीं)

नहीं (मार्ग कच्चा है)

5- प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-2 राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत ओर सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाय)

संलग्न है।

6- निर्देशों के अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा -

विषय सूची के अनुसार।

तिथि - 22-01-2015

स्थान - गोपेश्वर

(वीरेन्द्र जौहरी)

अधिशाली अभियन्ता

प्रस्ताव की क्रम संख्या :-

(प्राप्त करने की तारीख नोडल अधिकारी द्वारा भरी जानी है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या -

(प्राप्ति की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग - 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या -

7- परियोजना/स्कीम का स्थान -

(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र

(2) जिला

(3) वन प्रभाग

(4) वनेत्तर भूमि प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे०)

(5) वन की कानूनी स्थिति

(6) हरियाली घनत्व

(7) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि/श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल. - 2 मी० पर परिगणना और एफ.आर.एल. - 4 मी० भी संलग्न किये जायं

(8) (1) भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी

(2) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल (हे० में)

(9) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जायं)

(10) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हो/तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें।

(11) क्या कोई सुरक्षित पुरातात्विक/पौरम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।

8- प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा -

(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार

(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप

मासौ/दादड़

उत्तराखण्ड

चमोली

केदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

2.66

सिविल वन भूमि

सूची संलग्न है।

भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न है

नहीं

नहीं

नहीं

हां अपरिहार्य एवं न्यूनतम है

नहीं

नहीं

प्रांकलन संलग्न

मानचित्र पर उल्लिखित है

संलग्न है

संलग्न है

संलग्न है

संलग्न है

751955 हे०

497100 हे०

(ख) वनेत्तर भूमि पर

वनभूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है

हस्ताक्षर

सरकारी मोहर

विनोद बिहारी
मोहनदास
मोहनदास कृष्ण जीव प्रभाव

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग "ख" में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि -

स्थान -

हस्ताक्षर

(नाम)

सरकारी मोहर

भाग - 4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17— टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव के स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें)

(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक अथवा एप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि -

स्थान -

हस्ताक्षर

(नाम)

सरकारी मोहर

भाग - 5

(इसे वन विभाग प्रभारी, सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा मरा जाता है)

18- राज्य सरकार की सिफारिश

(उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)

तिथि -

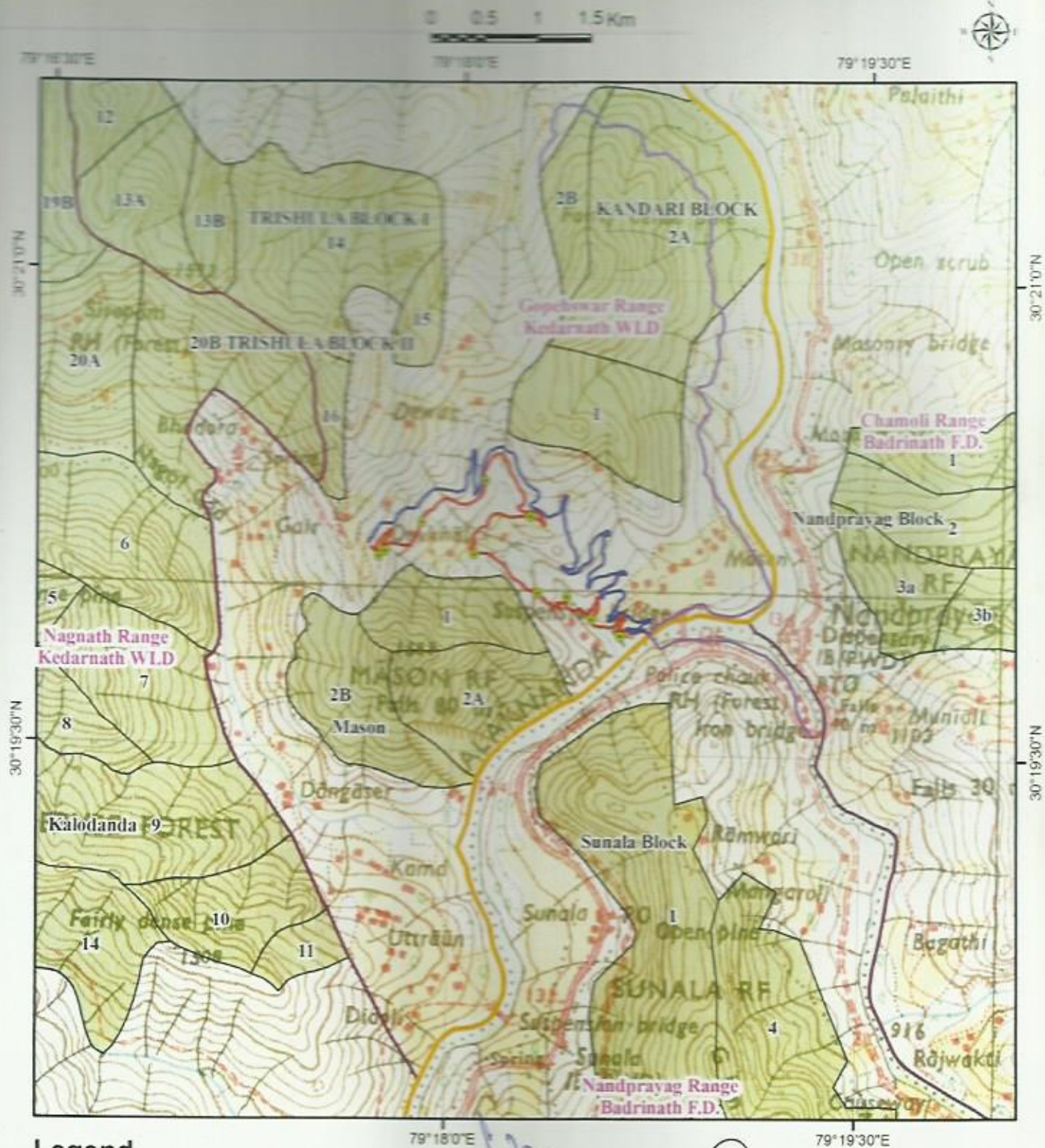
हस्ताक्षर

स्थान -

(नाम)

सरकारी मोहर

डिजिटल मानचित्र - जनपद चमोली के अन्तर्गत स्पेशल कम्पोनंट प्लान के अन्तर्गत मांसौ
- कफलखेत -दादर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 6.00 किमी0)



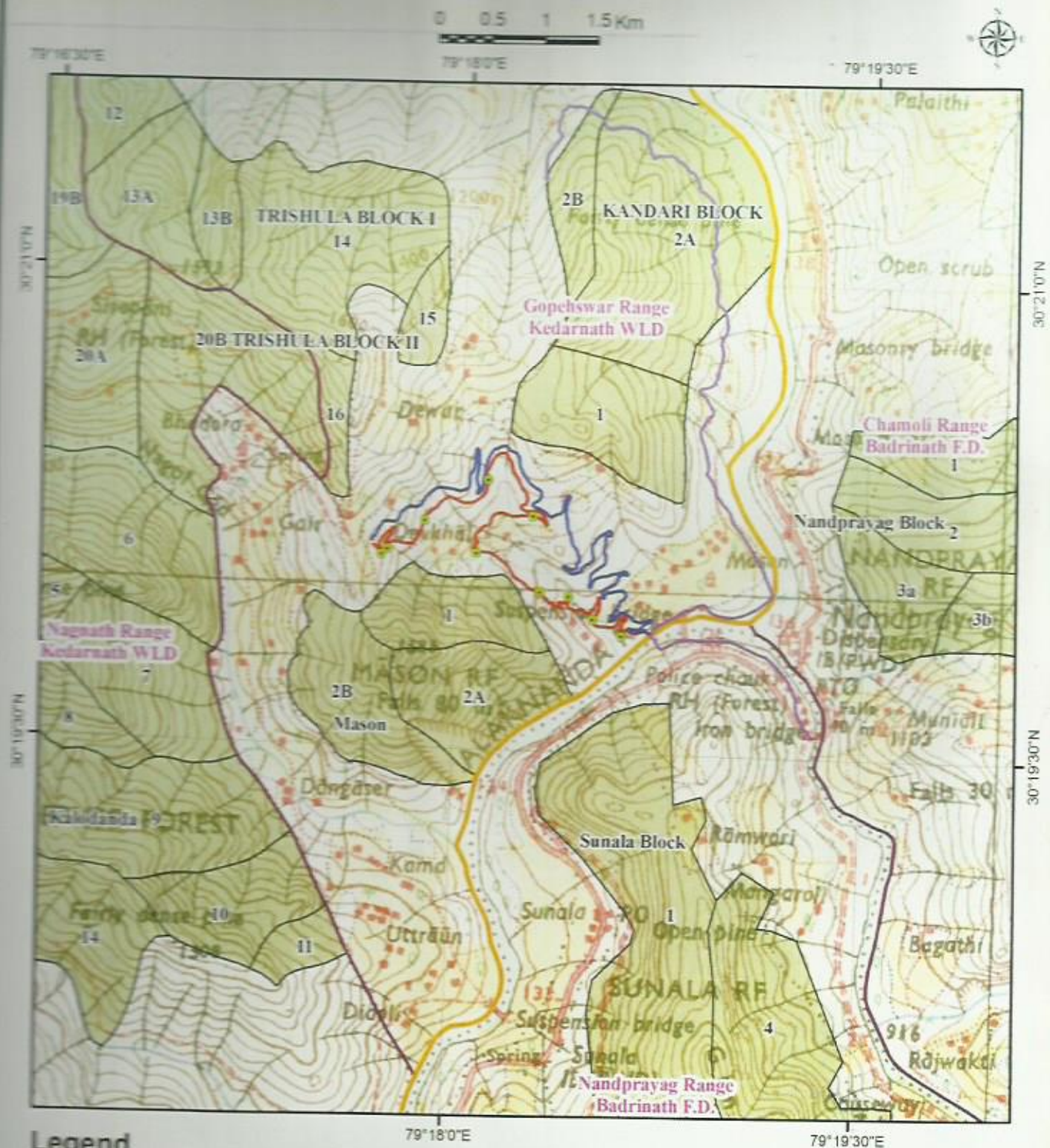
Legend

- Muck Disposal
- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

(JUNIOR ENGINEER)

(ASSISTANT ENGINEER)
बहुमल पालिका
डी० ए० जे० नि० वि०
बोम्बेसर

डिजिटल मानचित्र - जनपद चमोली के अन्तर्गत स्पेशल कम्पोनंट प्लान के अन्तर्गत मांसौ
- कफलखेत - दादर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 6.00 किमी०)



Legend

- Muck Disposal
- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

Justification

Name of The Project :- Construction of Mason-Kaphalkhet-Dadar motor road at Dasoli Block in District Chamoli Under S.C.S.P.

Necessity of the Project and Justification for locating the Project in Forest Area

Presently the villagers of the village Mason, Kaphalkhet and dadar have to walk through a distance of 2.00 Km to meet their daily needs as there is no road connecting the village. Due to the non-existent of any road connectivity the lives of the villagers are in constant danger as there are no medical services which could be provided to them even in cases of emergency such as maternity.

Further, due to non-existent of the road connectivity the area remains backward in all respects. The main occupation of the villagers residing in this village is animal husbandry and agriculture.

The villagers are forced to carry their cultivated crops such as Mirch, Aloo, Green Vegetable, Orange etc. on their feet or by mules to the nearby market.

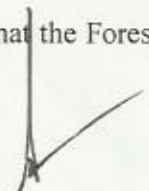
Due to the construction of road following benefits are provided to local People & Government too.

- 1- Enhance the social and economical development of this area.
- 2- Migration of people from the village shall be minimized.
- 3- Due to easily accessibility forest can be protected from fire during summer season to save Vegetation Plants & animals.
- 4- The Village People will travel large distance for their Jobs.
- 5- Local people will find jobs near their village.
- 6- More women will get employment & will improve their economic situation.
- 7- Educational development in this area.
- 8- Hospital and medical facilities.

The forest land area falling in the proposed alignment of the road which is 2.66 Hectare has been surveyed to the minimum and also the alignment of the road has been proposed in such a manner that there shall be a minimum of tree felling. Other than the proposed alignment for the road, there is no such alignment which shall reduce the diversion of forest area or felling of the trees. The overall width proposed for acquiring of the land is 7.00m and the construction of the road shall be carried out in a width of 6.00 in straight reaches. The Geological Investigation along the proposed alignment has been carried out which also states that the proposed alignment of the road is safe for construction. There are no graveyards, religious, historical/monumental or legendary places falling in the proposed alignment of the road.

In view of the above facts and in public interest, it is requested that the Forest land area of 2.66 Hectare may kindly be diverted for the construction of the road.


Assistant Engineer
Provincial Division PWD
Gopeshwar


Executive Engineer
Provincial Division PWD
Gopeshwar

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :-

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No-11/9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 2.047 Hect of forest land proposed to be diverted in favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Mason-Kaphalkhet-Dadar Motor road, Under SCP, 6.00 Km Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.70 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to - annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

जिला अधिकारी
 चमोली
 Signature

(District Magistrate Chamoli)

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate, Chamoli on dated 14/01/2015 at time 16.00 hrs at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 1.70 hect for the construction of Construction of Mason-Kaphalkhet-Dadar Motor road. Under SCP. 6.00 Km forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated: 16/01/2015

जिला अधिकारी
चमोली

District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee Chamoli

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकास खण्ड चमोली ठे मासी - कफलखेत - दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।
कार्यालय उप जिलाधिकारी चमोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली
जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली

में मासी - कफलखेत - दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.70 हे. सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 15/01/2015 की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा. सदस्यों की उपस्थिति में निम्नानुसार है:-

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 1- श्री <u>अपवर्षा कुमार सिंह</u> | उपजिलाधिकारी <u>चमोली</u> (सहायक) | <u>अध्यक्ष</u> |
| 2- श्री <u>एस. एस. सिंह</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- श्री <u>आर. एस. खन्ना</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य/सचिव | |
| 4- श्री <u>रोशन लाल</u> | वी.डी.सी. क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत मासी - कफलखेत - दादर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.70 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

अध्यक्ष

उपजिलाधिकारी
अध्यक्ष

सदस्य

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सदस्य

सचिव

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव

सदस्य

क्षेत्र दशोली सीट देवर कनगा
सदस्य दशोली (चमोली)

परियोजना का नाम :

19

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति
प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के अन्तर्गत ~~अटल आदर्श~~ ^{हपेशल कम्पोनेट प्लान के अन्तर्गत} ग्राम योजनान्तर्गत जनपद
चमोली के विकास खण्ड दशोली में अन्तर्गत कासे -
कफला रेवेनु - दादर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.70 हे० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु .

..... हे० सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें
उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु
विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत
प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक
कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि
कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन
भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है
कि उक्त वन भूमि 1.70 हे० सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना
निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभाओं की बैठक की
उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

रोशन
क्षेत्र पंचायत सदस्य देवर क्षेत्र
स्थान दि. खण्ड दशोली (चमोली)

हस्ताक्षर प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत देवर
50 चमोली
दिनांक

परियोजना का नाम :

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के अन्तर्गत ~~अटल-अम्बर~~ ^{रूपेशल कम्पोनेट प्लान के अन्तर्गत} ग्राम योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में अन्तर्गत प्राप्त - कफलावे - टाकर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1:70 हे० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु हे० सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त वन भूमि 1:70 हे० सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

रक्षण
क्षेत्र प्रमुख सदस्य देवर कनेर
बसों दि. खण्ड दशोली (चमोली)

समस्त अधिकारिता
रक्षण अधिकारी
गाम चमोली 2010

हस्ताक्षर प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत देवर
50-
चमोली
दिनांक

प्रतिवेदन

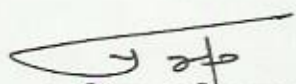
परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में ग्राम मासौ-कफलखेत-दादर में यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उक्त ग्रामों को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 827/111-2/06-76 (प्रा0आ0)/05 टी0सी0 द्वारा 3.00 किमी0 लम्बाई हेतु रु0 43.20 लाख एवं शासनादेश संख्या 2490/111 (2)/08-61 (प्रा0आ0)/2007 दि0 25.07.2008 द्वारा 3.00 किमी. के पश्चात पुनः 3.00 किमी0 लम्बाई हेतु 119.28 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस प्रकार इस मार्ग निर्माण हेतु कुल 6.00 किमी0 लम्बाई में रु0 162.48 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके विरुद्ध मात्र 2.66 हे0 वनभूमि हस्तान्तरण का यह प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

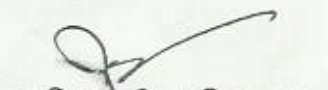
इस मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति विकासखण्ड दशोली में पर्वतीय एवं दूरस्थ ग्राम मासौ, कफलखेत, दादर आदि ग्रामों हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गयी है।

उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु दो संरेखणों पर विचार किया गया, किन्तु संरेखण नं0 1 इस प्रकार तय किया गया कि इसमें न्यूनतम वन भूमि एवं कम से कम वृक्ष पड़ें साथ ही इस संरेखण के मध्य कोई मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान, धार्मिक स्थल आदि नहीं पड़ते हैं, संरेखण का निरीक्षण भूगर्भवेत्ता द्वारा किया जा चुका है, भूगर्भीय दृष्टि से यह उचित पाया गया है, इस संरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक संरेखण उक्त बिन्दुओं को परिपूर्ण नहीं कर सकता है। क्योंकि संरेखण नं0 2 में अधिक वन सम्पदा का नुकसान होने के साथ ही एच0पी0 बैण्डों की संख्या भी अधिक आ रही है, जिस कारण मार्ग एवं गांव के स्थायित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः प्रस्तावित संरेखण नं0 1 उपयुक्त है, इस संरेखण में 2.66 हे0 में ही भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव गठित किया जा रहा है जो कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण 7.00 मी0 चौड़ाई में किया जा रहा है, मार्ग का निर्माण 6.00 मीटर चौड़ाई में किया जायेगा तथा इस मार्ग पर पड़ने वाले वृक्षों की गणना 6.00 मी0 चौड़ाई में ही की गयी है, जिसकी सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

अतः 6.00 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.66 हे0 सिविल/वन पंचायत वनभूमि की आवश्यकता है, जो न्यूनतम है। उक्त वनभूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशोसी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,

संख्या-827/ 111-2/06-76(प्रा.आ.) / एस.सी.पी. / 05टी.सी.।

प्रेषक,

टी०के० पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2005-06 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस.सी.पी.) के अन्तर्गत 69(उनहत्तर) नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस.सी.पी.) के अन्तर्गत 69(उनहत्तर) नये कार्यों के रुपये 7509.24 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रुपये 6981.98 लाख (रु० उनहत्तर करोड़ इक्कासी लाख अठानवे हजार मात्र) की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उसके सम्मुख कालम-06 में अंकित विवरणानुसार कुल रु० 0.69 लाख (रु० उनहत्तर हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरियता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भौति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

प्रमाण: वृ. दत्त शास्त्रि ने जाँच करके सत्यापित किया है।
29/3/06

PHOTOCOPY

TESTED

सत्य प्रमाणित

AE

शासनादेश संख्या-827/111(2)/06-76(प्रा.आ.)/05टी.सी.। दिनांक 28 मार्च, 2006 का संलग्नक

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	(धनराशि लाख रुपये में टी0ए0सी0 वित्त द्वारा आंकलित राशि)	वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1.	पिथौरागढ़ में एस.सी.पी. के अन्तर्गत जाख मेलदुंगरी मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य	7.00	101.50	101.50	0.01
2.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत जी.आई.सी. सुकौली-डुंगरी रॉवल मोटर मार्ग का नव निर्माण	12.00	213.60	213.60	0.01
3.	देवलथल कनालीछीना मोटर मार्ग के किमी0 4 से 13 का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य	10.00	178.00	178.00	0.01
4.	एस0सी0पी0 के अन्तर्गत नैनी सैनी कुम्हार मोटर मार्ग से कनारी पार्थे होते हुए अम्बेदकर गांव सौड़खेत तक मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	89.00	89.00	0.01
5.	एस0सी0पी0 के अन्तर्गत ऐचोली-गैना मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	53.40	53.00	0.01
6.	एस0सी0पी0 के अन्तर्गत मटियाल बैण्ड से ऊपरतोला मोटर मार्ग का विस्तार	1.00	17.80	17.80	0.01
7.	एस0सी0पी0 के अन्तर्गत मटियाल बैण्ड से ऊपरतोला मोटर मार्ग में 36 मी0 व 12 मी0 स्पान सेतु का निर्माण	36.00 व 12.00 मी0	55.20	55.20	0.01
8.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत बडावे से सिलिंगिया मोटर मार्ग का विस्तार	3.00	53.40	53.40	0.01
9.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत जाख-रावल गांव-धरासी-चमेला-रामेश्वर मोटर मार्ग का नव निर्माण	15.00	267.00	267.00	0.01
10.	दूनी चहज मोटर मार्ग के किमी0 6 से ड्यूलहेड़ा कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	89.00	89.00	0.01
11.	डिग्री कालेज लोहाघाट से गंगलौला-नसखोला होते हुए अम्बेदकर ग्राम पोखरीबोरा तक मोटर मार्ग का निर्माण	25.00	445.00	445.00	0.01
12.	अल्मोडा में सल्ट के अन्तर्गत भौनडांडा से जैखाल तक सड़क निर्माण का कार्य	6.00	129.30	106.80	0.01
13.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत छेड़ा-कुम्भैयाचौड-नरगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण	10.00	178.00	178.00	0.01
14.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत अमोठा, कटुली नावां जेरल किमोला मोटर मार्ग का नव निर्माण	12.00	166.80	166.80	0.01

PHOTOCOPY
ATTESTED

29.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत हिसरियाखाल- बगवान हवा 0 मार्ग के शेष 0.400 किमी 0 भाग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं पक्कीकरण	0.400	6.24	6.24	0.01
30.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत डांगचौरा से मुण्डोली-गोली- गुरछोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	12.00	194.40	194.40	0.01
31.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत कौडिया-सियासैण मार्ग का विस्तार	3.00	48.45	43.20	0.01
32.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-देवखाल मोटर मार्ग से काफलखेत-दादर तक मोटर मार्ग निर्माण	3.00	76.32	43.20	0.01
33.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत मठियाण गांव मोटर मार्ग का नव निर्माण	2.00	32.40	32.40	0.01
34.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत भटगांव मोटर मार्ग का निर्माण	0.500	8.10	8.10	0.01
35.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत भैंसकोट मोटर मार्ग का निर्माण	8.00	129.60	129.60	0.01
36.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत पाटावालागांव मोटर मार्ग का निर्माण	6.00	97.20	97.20	0.01
37.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत पौडी गढवाल में भ्यूलेथ में मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	27.80	27.80	0.01
38.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत नैनीताल में कुन्जखड़क से हरिनगर बदन धूरा मोटर मार्ग का नव निर्माण	4.00	103.00	71.20	0.01
39.	दशाईथल खिरमाण्डे मोटर मार्ग का पुनः निर्माण व सुधार	11.80	171.10	171.10	0.01
40.	जिला पौडी गढवाल में एस.सी.पी. के अन्तर्गत गूम-किनसूर-बागी मोटर मार्ग के निर्माण के संबंध में	8.00	143.20	143.20	0.01
41.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत पुरोला-कुफारा मोटर मार्ग के किमी 0 1.50 से किमी 0 6.25 किमी 0 तक मार्ग का सुदृढीकरण, डामरीकरण एवं पुलिया निर्माण	4.75+ 6मी 0 स्पान आर. सी.सी. पुल	59.53	59.53	0.01
42.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत पुरोला-खलाडी-घड़ोली मोटर मार्ग के किमी 0 5.00 से 8.00 किमी 0 तक मार्ग का सुदृढीकरण एवं डामरीकरण	4.00	42.80	42.80	0.01
43.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत ग्राम छाना-खरकोट हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण	8.00	142.40	142.40	0.01
44.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत देघाट-चिन्तोली मोटर मार्ग के किमी. 13.00 के नगरकोटिया नामक स्थान से कोठा गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	64.20	53.40	0.01

PHOTOCOPY
A. D. S. D.

-7-

61.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत खोला(लोस्तु) देवगढ़ी हेतु गहड़ मोलधार ह0वा0 मार्ग को मो0मार्ग में परिवर्तन एवं सुधार कार्य का शेष भाग	0.600	11.64	11.64	0.01
62.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत पवेला हेतु तोली गुजेठा ह0वा0 मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं पुनःनिर्माण/ सुधार	0.900	17.46	17.46	0.01
63.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल में पालकोट से चौड जसपुर मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	81.00	81.00	0.01
64.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत कालापातल-सलियाकोट मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण	8.00	140.80	140.80	0.01
65.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत सतोली-कफूड़ा मोटर मार्ग का निर्माण	6.00	106.80	106.80	0.01
66.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत बिचखाली-सलकुली मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	35.60	35.60	0.01
67.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत बंसगाँव-डडोर-बंसती मोटर मार्ग का निर्माण	8.00	142.00	142.00	0.01
68.	एस.सी.पी. के अन्तर्गत दरमोली-पिठोली मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	35.60	35.60	0.01
69.	मलौन से सिमली-पातली-अमतोली-अमोठा मोटर मार्ग का निर्माण	12.00	279.34	213.60	0.01
	कुल योग		7509.24	6981.98	0.69

(रूपये उनहत्तर हजार मात्र)

कार्यालय
अधिसूची अभियन्ता
प्रान्तीय उ-3, लो० नि० बि०
धोपेश्वर (चमोली)

(टी० के० पन्त)
संयुक्त सचिव।

मुद्रांकन सं० 1325 / 2 रु.सी. दिनांक 3-4-2006

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

- ① श्री अजय कुमार सिंह सहायक अभियन्ता (प्रथम) - प्र. र. व. लो. नि. नि. जोधपुर
- ② श्री सतनाम सिंह कनिष्ठ अभियन्ता
- ③ श्री विजय कुमार कनिष्ठ अभियन्ता
- ④ स्वकीय लेखाधिकारी / वजेट प्रभावली
- ⑤ अवर अभियन्ता / जवाबदार

Digitized
प्रतिलिपि
ATTESTED

3/4/06
अधिसूची अभियन्ता
प्रान्तीय उ-3, लो० नि० बि०
धोपेश्वर (चमोली)

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर-१,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-२

देहरादून, दिनांक २५ जुलाई, २००८

विषय:- वित्तीय वर्ष २००८-२००९ में अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल/कम्पोनेन्ट प्लान (एस०सी०एस०पी०) के अन्तर्गत ६० नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये ६० कार्यों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपलब्ध कराये गये कुल ६० कार्यों के आगणनों लागत रू० १४६२१.८३ लाख पर टी०ए०सी० वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई, धनराशि रू० १४६०२.४८ लाख की धनराशि की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिए उनके सम्मुख कॉलम-०६ में अंकित विवरणानुसार कुल रू० ६.०० लाख (रू० छः लाख मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष २००८-०९ में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

२- उक्त स्वीकृति के सापेक्ष संलग्न सूची में वर्णित रू० १.०० करोड़ से अधिक लागत के कार्यों पर वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक ३०.५.२००८ में दी गई व्यवस्था के अनुसार शासन स्तर से कार्यवाही किये जाने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

३- उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व सभी कार्यों के लिये सक्षम स्तर से प्राविधिक स्वीकृति भी प्राप्त कराली जायेगी तथा उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा जिसके लिये यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

४- कार्य कराने से पूर्व समस्त वांछित औपचारिकताएँ पूर्ण कराते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जाये।

५- यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से धनराशि पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी हो तो उस कार्य हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

६- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों / पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ

25/7/08

25/7/08

25/30

कम सं० 148
पत्रावली सं० 2 AC
दिनांक 12/8/08

- 2 -

विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाये। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2009 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाये। कार्य कराते समय टैण्डर तद्विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाये। यदि टैण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर कार्य-पूर्ण होता है तो ऐसी समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाये।

7- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8- यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य के निमित्त पूर्व में किन्हीं अन्य बचत से धनराशि स्वीकृत हुई हो तो उसका विवरण शासन को देकर अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।

9- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-30 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परियोजना-04 जिला तथा अन्य सड़कों आयोजनागत- 800 अन्य व्यय-02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान -02 नये कार्य -24 वृद्धि निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

10. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ. 6733/XXVII(2)/2008, दिनांक 25 जुलाई 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक- 60 कार्यों की सूची।

भवदीय
प्रदीप सिंह रावत
उप सचिव।

संख्या-2490 (1)/III-(2)/08, तददिनांक।

- 1- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 2- महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबर्गें मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
- 3- आयुक्त गढ़वाल/कुमायू मंडल, पौड़ी/त्रैनीताल।
- 4- सचिव, समाज कल्याण (नियोजन प्रकोष्ठ), उत्तराखण्ड शासन।
- 5- समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायू क्षेत्र, लो० नि० वि०, पौड़ी/अल्मोड़ा।
- 7- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
- 8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 9- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

कार्यवाही अभियन्ता

7 वीं ब्लाक लो० नि० वि०
गोपेश्वर (पम्पेरी)

आज्ञा से,
प्रदीप सिंह रावत
उप सचिव।

सं० 3530/42 भागा - 7/08 दि० 01/01/08

प्रतिलिपि बिम्बलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक

कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिष्ठाता अभियन्ता प्रा० नि० अखण्ड खण्ड लो० नि० वि०

गोपेश्वर। कर्षण भाग। धरती। गोपेश्वर। कर्षण भाग। कर्षण भाग।

संलग्नक- 2 वगैरे। 2 वगैरे। 2 वगैरे। 2 वगैरे। 2 वगैरे।

प्रावधिक वगैरे। 2 वगैरे। 2 वगैरे। 2 वगैरे। 2 वगैरे।

लगातार, उपरोक्तानुसार

सं० 2584/2 भागा दि० 14/2/2008

अधिष्ठाता अभियन्ता

7 वीं ब्लाक लो० नि० वि०
गोपेश्वर (पम्पेरी)

PHOTOCOPY
MAILED

सत्य प्रामाणिक

संलग्नक अभियन्ता
7 वगैरे लो० नि० वि०
गोपेश्वर

शासनादेश संख्या: 2496 / 111-2/08-81(प्रा.आ.0)/2007 दिनांक 25 जुलाई, 2008 का संलग्नक

क.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	लागत (लाख रु०) में	टी.ए.सी. वित्त द्वारा स्वीकृत धनराशि	व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1.	रुद्रप्रयाग में ग्राम कुंजजेटी हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.00	73.50	73.50	0.10
2.	रुद्रप्रयाग के अगस्तमुनी विकास खण्ड में खाकरा-पौड़ीखाल-गहड़खाल मोटर मार्ग से मरगोव सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण	4.00	147.00	147.00	0.10
3.	रुद्रप्रयाग के अगस्तमुनी वि०ख० में शिवनन्दी से सिमौली मोटर मार्ग के अवशेष भाग का नव निर्माण	4.00	147.00	147.00	0.10
4.	रुद्रप्रयाग के वि०ख० जखोली में आश्रम से घरडा-मखेत मोटर मार्ग का ग्राम कोटी तक विस्तार	6.00+ 45मी० सेतु	358.00	358.00	0.10
5.	रुद्रप्रयाग में डुंगर बैण्ड से सिल्ला बामणगोव तक हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन	2.00	56.70	56.70	0.10
6.	रुद्रप्रयाग में कमसाल जगोठ (अम्बेडकर ग्राम) गणेशनगर मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं पक्कीकरण	4.25	89.25	89.25	0.10
7.	रुद्रप्रयाग में कणसिल-जाबरी-कान्दी हल्का वाहन मोटर-कोट मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण	1.00	28.35	28.35	0.10
8.	नैनीताल में देवलचौड़ आनन्दपुर चौकी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधार	2.500	88.25	76.65	0.10
9.	नैनीताल में चोरगलिया के देवपुरा-सनवाल क्षेत्र के आन्तरिक सम्पर्क मार्ग	2.00	56.00	56.00	0.10
10.	नैनीताल में चोरगलिया के घरमगढ़ क्षेत्र के आन्तरिक मार्ग का निर्माण	2.00	56.00	56.00	0.10
11.	चम्पावत में किमतौली रौसाल मोटर मार्ग के पिलखी लिंक मोटर मार्ग विण्डा तिवारी तक विस्तार	5.00	175.00	175.00	0.10
12.	चम्पावत में किमतौली पुल्ला मोटर मार्ग से टप्पा काण्डे तक मोटर मार्ग का निर्माण	6.00	210.00	210.00	0.10
13.	चम्पावत में सिप्टी-नायड़ी मोटर मार्ग का विस्तार	4.00	140.00	140.00	0.10
14.	चम्पावत में नरसिंह डांडा-गुरौली (कैन्चूरा) मोटर मार्ग के किमी० 7 से बाईपास मार्ग निर्माण	5.00	175.00	175.00	0.10
15.	चम्पावत में टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग के किमी० 31 से सिलाड़ मोटर मार्ग का नव निर्माण	3.00	105.00	105.00	0.10
16.	बागेश्वर में दुदीला-अमोली-महरपाल मोटर मार्ग का नव निर्माण	10.00	387.70	387.10	0.10
17.	बागेश्वर में हरिनगरी-पथ्या मोटर मार्ग का हड़ापडाबू तक विस्तार	10.00	473.11	473.11	0.10
18.	बागेश्वर में कज्यूली-कोटकुलवारी-पडियार खेत मोटर मार्ग का नव निर्माण	5.00	400.55	400.55	0.10
19.	बागेश्वर में मच्छीबगड़-ग्वालदे तक मोटर मार्ग का निर्माण	10.00	517.50	517.50	0.10

PHOTOCOPY
TESTED
[Signature]
मोपस्वर

chul

उम्मीद

ਸ਼ਾਹੀਡਿਸ਼: ਸੰ 2440/III-208-61 (ਪਿਓਭੀ) 02.08.2018

43.	अल्मोड़ा में सौज-दुवाल गाँव मोटर मार्ग निर्माण	2.50	87.50	87.50	0.10
44.	अल्मोड़ा में मजखाली-दिगोटी मोटर मार्ग मजेठी ग्राम तक मोटर मार्ग निर्माण	4.00	140.00	140.00	0.10
45.	अल्मोड़ा में द्वारसौ काकडी घाट मोटर मार्ग से दुस्कोटा ग्राम तक मार्ग निर्माण	3.00	105.00	105.00	0.10
46.	अल्मोड़ा में विकास खण्ड लमगाडा के अन्तर्गत टकौली बैण्ड से बड़यूडा-बलमा मोटर मार्ग का नव निर्माण	17.00	595.00	595.00	0.10
47.	चमोली में मींग गधेरा-गडकोट मोटर मार्ग का करघूडा तक विस्तार तीन सेतुओं सहित		227.34	227.34	0.10
48.	चमोली में नन्दप्रयाग-देवखाल मोटर मार्ग के किमी० 3.00 से ग्राम दादर तक मोटर मार्ग का निर्माण		119.28	119.28	0.10
49.	चमोली में ग्राम कस्बीनगर तक मोटर मार्ग का सुधारीरण एवं डमरीकरण	5.00	105.00	105.00	0.10
50.	चमोली में हरमनी-करघ्यूडा मोटर मार्ग का नव निर्माण	8.00	294.00	294.00	0.10
51.	चमोली में जिलासू-आली मोटर मार्ग का विस्तार	6.00	220.50	220.50	0.10
52.	कर्णप्रयाग के अन्तर्गत शिमली चुलाकोट बैनीताल मोटर मार्ग के किमी० 10 से बनियास हेतु मोटर मार्ग निर्माण	5.00	183.75	183.75	0.10
53.	गैरसैण के अन्तर्गत खेती बेडी छिमटा मोटर मार्ग का ग्राम रीठा मंगनी तक विस्तार	10.00	455.37	455.37	0.10
54.	विकास खण्ड घाट में सितैल से ग्राम प्राणमती तक मोटर मार्ग निर्माण	10.00	367.50	367.50	0.10
55.	चमोली के अन्तर्गत उज्जवलपुर से बेनोली तक ग्रेटर मार्ग का विस्तार	10.00	367.50	367.50	0.10
56.	टिहरी के जाखणीधार में जीरो ब्रिज से गडूगाडमयू चोपड़ा सैण पिपोला मोटर मार्ग निर्माण	4.00	140.00	140.00	0.10
57.	उत्तरकाशी में आराकोट-क्लीच-थुनारा-डामदी (अवशेष भाग का विस्तार) मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	175.00	175.00	0.10
58.	उत्तरकाशी में मोरी-मोताड मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	105.00	105.00	0.10
59.	उत्तरकाशी में चिन्यालीसोड़ में बड़ेथी-बनचौरा मोटर मार्ग से डांडा गाँव मोटर मार्ग का निर्माण		110.25	110.25	0.10
60.	उत्तरकाशी में चिन्यालीसोड़ में सिलक्यारा-बनगाँव-चापड़ा-सरोट मोटर मार्ग से बनोटपल्ला मोटर मार्ग का निर्माण		147.00	147.00	0.10
	कुल योग		14621.83	14602.48	6.00

मुख्य अभियन्ता स्तर-I

(रु० छः लाख मात्र)

सोऽन् निर्माण विभाग

अनुसूचित

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

एक ५१५५४/ २० ज. - ३/०४

१५-२४/७/८९

पुनः निम्नलिखित के पुनर्निर्माण एवं आसक्ति में सहायता दे

० रूप नाम. ठ. / रु. के पांती / कौशिक

② બધી જાતિ- જન્ય / દિલીપ / રતીપ / દુલ્હન / તાલવ / ગાલ

विष्णोश्चागद / कलशकाशी / शेषेश्वर / अन्नादि

③ श्रावधिक / खजूर बारी

PHOTOCOPY
TESTED

AE

जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 16.09.2014 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु

मलया निस्तारण हेतु डम्पिंग जोन प्रस्तावित है।

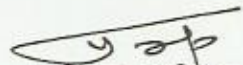
उपजिलाधिकारी,
सि. वि. वि. वि. वि. वि.

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासों-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

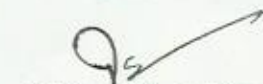
वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रस्तावित परियोजना हेतु दो संरेखणों पर विचार किया गया, समरेखण नम्बर एक उचित एवं उपयुक्त पाया गया, संरेखण नम्बर दो भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय दृष्टि से अनपयुक्त पाया गया।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1.	मुख्य विषयताएँ एवं विवरण	नन्दप्रयाग—देवखाल मोटर मार्ग के किमी 02 के झला वगड़ नाम स्थान से हिल साइड में यह मोटर मार्ग प्रारम्भ होता है इस मोटर मार्ग से ग्राम मासौ, कफलखेत, दादर ग्राम प्रत्यक्ष रूप से इस मोटर मार्ग से जुल जायेगे।	समरेखण नं. 1 के अनुसार
2.	प्रस्तावित दृष्टिकोण से समरेखण की लम्बाई	6.00 किमी. स्ख 1:24 R, M.P Band — v Mo	6.00 किमी. स्ख 1:24 R, M.P Band — 1000
3.	वर्तमान यातायात के साधन	2.00 किमी 0 तक मोटर मार्ग इसके पश्चात पैदल मार्ग	2.00 किमी 0 तक मोटर मार्ग इसके पश्चात पैदल मार्ग
4.	भूमि (अ) सिविल/वन भूमि (ब) कृषि योग्य भूमि 7. सिंचित 8. असिंचित	2.00 किमी. शून्य 4.00 किमी 0	2.50 किमी. शून्य 3.50 किमी.
5.	सूर्य प्रकाशित भूभाग	सम्पूर्ण लम्बाई में	सम्पूर्ण लम्बाई में
6.	भूखलन	शून्य	शून्य
7.	भूमि	मिट्टी, पत्थर, आदि	मिट्टी, पत्थर, अत्यधिक कठोर चट्टान आदि
8.	वनस्पति	पैड़ पौधे	पैड़ पौधे
9.	मार्ग का ढाल		
10.	अनुप्रस्थ ढाल—1. सामान्य ढाल 2. तीव्र ढाल	20 से 40 तक 25 से 50 तक	20 से 50 तक 30 से 70 तक
11.	भू-भाग 1. कठोर चट्टान 2. कोमल चट्टान	2.00 किमी. 4.00 किमी.	3.00 किमी. 3.00 किमी.

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
12.	अस्थिर/भूस्खलन भूमि की लम्बाई	शून्य	शून्य
13.	साधन 1. लकड़ी 2. पत्थर 3. मजदूर	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता
14.	पानी का निकास (अ) छोटे पुल संख्या व विस्तार (अ) बड़े पुल संख्या व विस्तार	- -	- -
15.	वर्षा एवं जलवायु की दशा	मार्ग सर्व ऋतु योग्य रहेगा। टंडी जलवायु	समरेखण नं. 1 अनुसार
16.	लाभान्वित ग्रामों की संख्या (अ) प्रत्यक्ष रूप से (ब) अप्रत्यक्ष रूप से	ग्राम का नाम कोड सं. जनसंख्या मासौ- दादर	- समरेखण नं. 1 अनुसार
17.	वर्तमान मार्ग से प्रस्तावित मार्ग का सम्बन्ध	यह समरेखण मासौ-कफलखेत -दादर मोटर मार्ग का नव निर्माण करने हेतु समरेखण गठित किया गया है जिसमें ग्राम मासौ, कफलखेत, दादर आदि प्रत्यक्ष रूप से इस मोटर मार्ग से जुड़ जायेंगे जिससे इस ग्राम की जन संख्या को यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी।	समरेखण नं. 1 अनुसार
18.	सामरिक महत्व	-	-
19.	हेयर पिन बैण्ड	नं 0	10-70
20.	कृषि एवं फल की दृष्टि से महत्व	क्षेत्र की मुख्य पैदावार जैसे मालटा नीबू अमरुद व स्थानीय दाले आदि का आदि का दुलान स्थानीय बाजार में आसानी से पहुँचने के कारण बाजार की सुविधा मिलेगी।	समरेखण नं. 1 अनुसार
21.	वन सम्पदा का उपयोग	जड़ी बूटी जैसे झूला एवं अन्य वन सम्पदा का संरक्षण हो सकेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
22.	खनिज सम्पदाओं का उपयोग।	खनिज सम्पदाओं का पता लगाने में मदद मिलेगी तथा खनिज का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार

क्र.सं.	मद का नाम	समरखण (1) लाल रंग में	समरखण (2) हरा रंग में
1	2	3	4
23.	लाम	22. इस समरखण में मात्र 9 एच.पी. बैण्ड पड़ते पड़ते हैं। 23. यह समरखण प्रथम 2.00किमी. सीढ़ीनुमा खेतों में गुजरता है। 24. ग्राम वारियों के मकानों को कोई क्षति नहीं होगी। 25. तकनीकी दृष्टि से यह संरखण उपयोगी है। 26. इस संरखण से ग्रामवासी भी पूर्ण रूप से सहमत हैं। 27. इस संरखण पर मार्ग का निर्माण मितव्ययी होगा। 28. पुराने स्वीकृत समरखण पर मानवीय क्षति होने की संभावना नहीं है, पूर्व स्थापित राजकीय सम्पत्तियाँ आदि को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचेगा, और इस क्षेत्र की जैविक विविधा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।	22. इस समरखण में 10 एच.पी. बैण्ड पड़ते हैं। 23. यह समरखण किमी. सीढ़ीनुमा खेतों में गुजरता है। 24. ग्राम वारियों के मकानों की क्षति होने की सम्भावना अधिक रूप में है, क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों के लिए अधिक मुआवजा देने की प्रबल स्थिति बनी हुई है। 25. नाप भूमि अधिक पड़ने, मकानों के ऊपर मलवा आने की सम्भावना के कारण तथा इस संरखण की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण निर्माण में अधिक लागत के व्यय होने से उपयोगी नहीं है। 26. अधिक लंबाई होने के कारण तथा ग्रामीणों के अधिक खेतों के आने से ग्रामवासी कतई सहमत नहीं हैं। 27. इस संरखण पर मार्ग का निर्माण अत्यधिक व्यय के साथ होगा तथा इस पर अधिक विस्तार के पुलियाओं का निर्माण करना पड़ेगा। 28. संरखण संख्या 1 के अनुसार।
	हानि	1. इस समरखण में 6 एच.पी. बैण्ड होने के कारण स्थानीय कारस्तकारों की कृषि मात्र किमी. लंबाई अधिग्रहित की जायेगी। 2. कृषि योग्य भूमि कम अधिग्रहित करने से कारस्तकारों को कम हानि होगी एवं वन सम्पदा को भी कम नुकसान होगा। 3. क्षतिपूर्ति एवं मुआवजा का भुगतान कम करना पड़ेगा।	1. इस समरखण में एच.पी. बैण्ड होने के कारण स्थानीय कारस्तकारों की कृषि भूमि कम अधिग्रहित की जायेगी। 2. कृषि योग्य भूमि अधिक अधिग्रहित करने से कारस्तकारों को अधिक हानि होगी। 3. क्षतिपूर्ति एवं मुआवजा का भुगतान अधिक करना पड़ेगा।

डिजिटल मानचित्र - जनपद चमोली के अन्तर्गत स्पेशल कम्पोनंट प्लान के अन्तर्गत मांसौ
- कफलखेत - दादर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 6.00 किमी०)

37

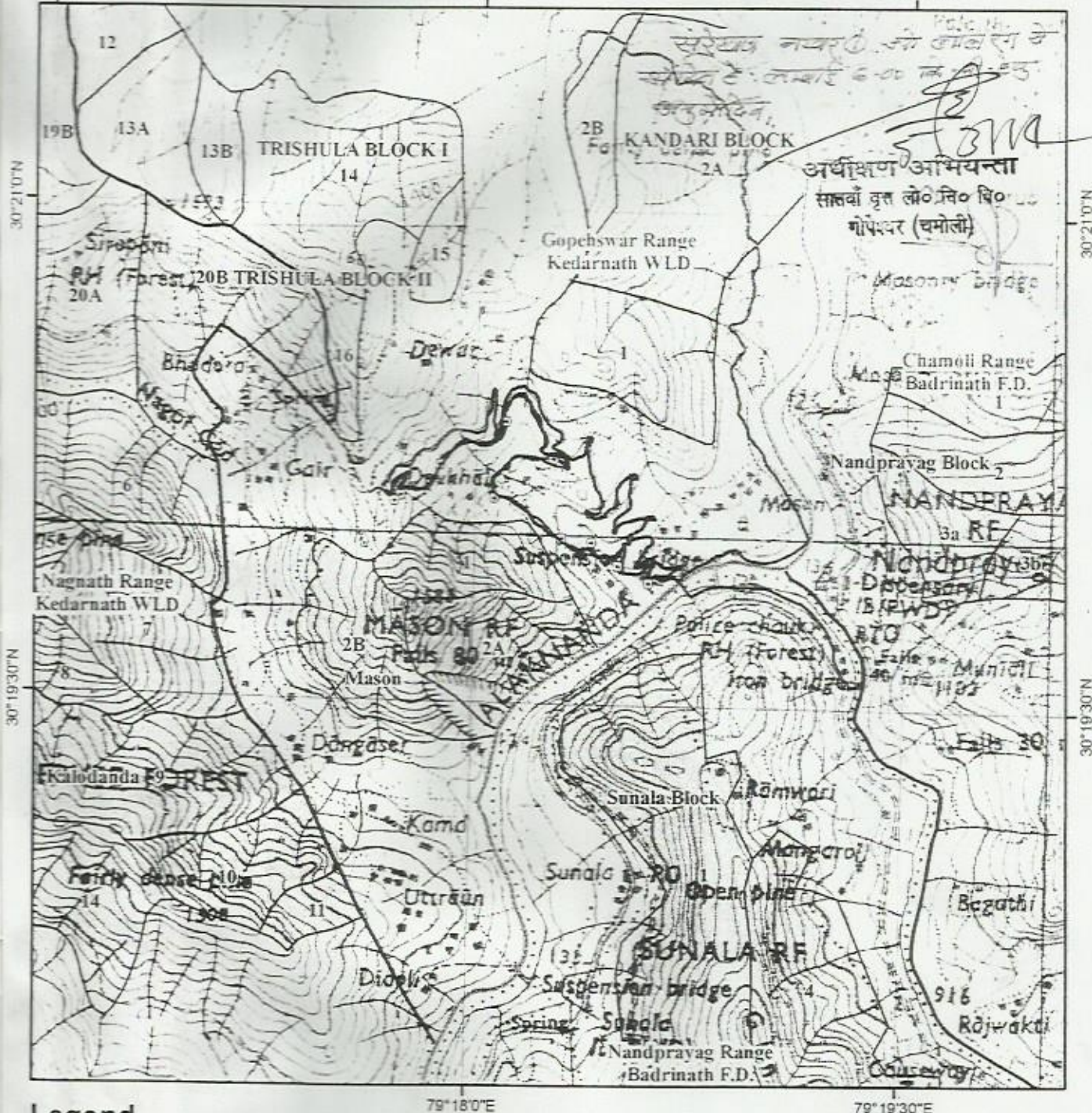
0 0.5 1 1.5 Km



79°16'30"E

79°18'0"E

79°19'30"E



Legend

- Muck Disposal
- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

संमोखण लम्बा १

अधीक्षक अभियन्ता
सतत वृत्त ले० वि० वि०
गोपेश्वर (चमोली)

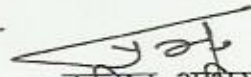
संमोखण लम्बा २

न्यूनतम भूमि का प्रमाण पत्र

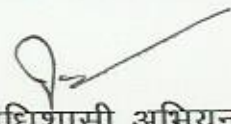
परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु जो सिविल/वन पंचायत वन भूमि ली गयी है, वह न्यूनतम है तथा लो0नि0वि0 मानक के अनुसार इससे कम भूमि में मार्ग निर्माण सम्भव नहीं है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

पटवारी


तहसीलदार
तहसीलदार
(चमोली)


उपजिलाधिकारी,
चमोली

वैकल्पिक भूमि का प्रमाण पत्र

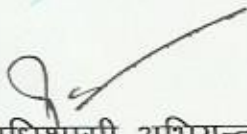
परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

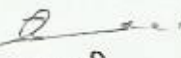
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दधौली के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु जिस सिविल, वन पंचायत वनभूमि का चयन किया गया है, इसके अतिरिक्त कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। यह भूमि केवल मार्ग निर्माण के लिये ही प्रयोग में ली गई है, तथा अन्य सार्वजनिक कार्य में नहीं ली जायेगी।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


पटवारी


तहसीलदार
(सदर)
चमोली


तहसीलदार
चमोली

लैण्ड शैड्यूल (वन)

कार्य का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासों-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जनपद का नाम	तहसील	ब्लाक	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा हे० में	याचित क्षेत्रफल हे० में
1	2	3	4	5	5
चमोली	चमोली	दशोली	शून्य		

1/10/20
O.E.

AE

1/10/20
1/10/20

अधिकांश अभियन्ता
प्रान्तीय स्वयंसेवक निर्माण विभाग
गोपबंदर

लैण्ड शैड्यूल (सिविल)

कार्य का नाम - जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोजिट प्लान के अन्तर्गत गाराँ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

जनपद का नाम	तहसील	ब्लॉक	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (है) में	आवित हो-उपलब्ध है (है) में
1	2	3	4	5	6
चमोली	चमोली	दशोली	8	2.660	2.660
		योग	8	2.660	2.660

अधीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधीनस्थ अभियन्ता
प्रति खंड लोडिंग/विंड
मोडेल

अपराध निरीक्षक

तहसीलदार
(सदर)
चमोली

सहायक अधिकारी
चमोली

मार्ग पर प्रभावित भूमि की स्थिति

कार्य का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासों-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

चैनेज मीटर में	लम्बाई मीटर में	भूमि का प्रकार (क्षेत्रफल हे० में)			
		नाप भूमि	सिविल भूमि	आरक्षित भूमि	वन पंचायत
1	2	3	4	5	6
0-300	300	--	0.210	--	--
300-1000	700	0.490	--	--	--
1000-1600	600	--	0.420	--	--
1600-2100	500	0.350	--	--	--
2100-2500	400	--	0.280	--	-
2500-3500	1000	0.700		--	-
3500-6000	2500	--	1.750	--	-
Total -	6000	1.540	2.660	0.000	0.000

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशसी अभियन्ता
प्रा० ख० लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

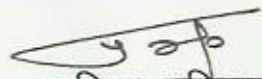
लम्बाई एवं चौड़ाई का प्रमाण पत्र

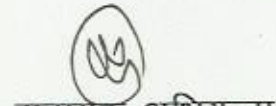
परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

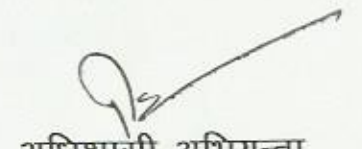
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण में चयनित स्थल हेतु 2.66 हे० सिविल एवं 1.54 हे० नाप वनभूमि पड़ती है, मार्ग निर्माण हेतु 7.00 मी० चौड़ाई में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है तथा मार्ग का निर्माण 7.00 मी० चौड़ाई में किया जायेगा।

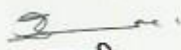
2200 मी० ग 7 मी० = 15400 वर्ग मी०	-	1.54 हे० नाप वनभूमि
3800 मी० ग 7 मी० = 26600 वर्ग मी०	-	2.66 हे० सिविल वनभूमि
180 मी० ग 6 मी० = 1080 वर्ग मी०	-	0.108 हे० (मछ डिपोजिशन)

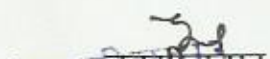

अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

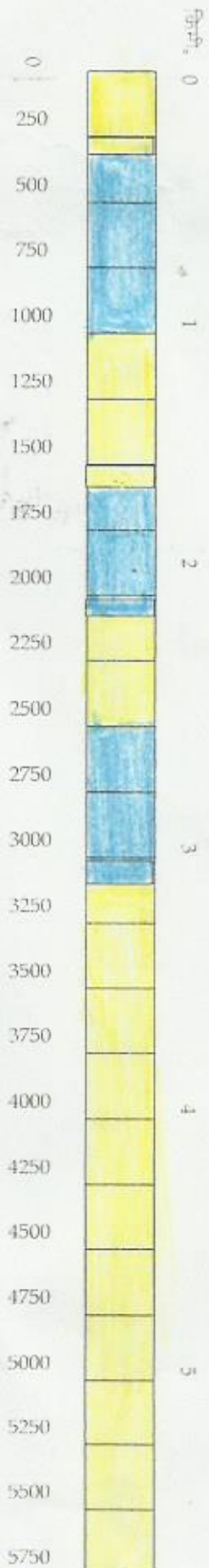

पटवारी


तहसीलदार
(सदर)
चमोली


उपजिलाधिकारी,
चमोली

बार चार्ट

कार्य का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।



संकेत

रिमिडित वनभूमि

नाम वन भूमि

अधिशाली अभियन्ता
पां.खं. लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

सहायक, अभियन्ता

वन विभाग, चमोली
गोपेश्वर, चमोली

कनिष्ठ अभियन्ता

अभियन्ता

क्षतिकारक वृक्षारोपण

- 1- परियोजना का नाम- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत मासों-कफलखेत-दादर मोटरमार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
- 2- वृक्षारोपण स्थल का नाम- घुडसाल सिविल।
- 3- क्षेत्रफल- 5.32 है०
- 4- रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या- 2000 पौध प्रति है० 10640 कुल पौध।
- 5- रोपित की जाने वाली प्रजातियां-

क्र० सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य				1
1	सर्वे एवं सीमांकन।	5.32	है०	71.00 प्र० है०	377.72
2	स्थल की सफाई कार्य।	5.32	है०	2315.00 प्र० है०	12315.80
3	अग्रिम दीवाल बन्दी कार्य।	5.32	है०	13932.00 प्र० है०	74118.24
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिकी कार्य हेतु प्राविधान	5.32	है०	5680.00 प्र० है०	30217.60
5	रेखांकन घूना सहित (0.30×0.30×0.45) सेमी०	10640	पौध	3.89 प्र० पौध	41389.60
6	निरीक्षण बटिया बनाना	5.32	है०	568 प्र० है०	3021.76
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	10640	पौध	4.00 प्र० पौध	42560.00
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र,संयंत्र,औजार तेज करना एवं अन्य कार्य पर व्यय।			ल०सं०	3000.00
9	अन्य कार्य			ल०सं०	2500.00
				योग-	209500.72
2	द्वितीय चरण				
1	गड्ढे भरण कार्य (0.30×0.30×0.45)	10640	गड्ढे	0.88 प्रति	9363.20
2	पौधों का मूल्य	10640	पौध	1.00 प्रति	10640.00
3	पौध ढुलान कार्य मासों-कफलखेत-दादर से कार्यस्थल।	10640	पौध	6.00प्रति	63840.00
4	पौध रोपण व थावल बन्दी कार्य करना।	10640	पौध	1.72 प्रति	18300.80
5	निराई गुड़ाई व मलिंग दो बार।	10640	पौध	2.19 प्रति	23301.60
6	खाद एवं दवा पर व्यय।	10640	पौध	1.50 प्रति	15960.00
7	प्रथम वर्ष का वृक्षारोपण की देख रेख व रखरखाव पर व्यय 5.32 है०	08	माह	426.00प्रति है०	18130.56
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास,फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०।			ल०सं०	5000.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4.00मी० की पट्टी साफ करना।			ल०सं०	5000.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	01	गोँव	4000.00 प्र० गोँव	4000.00
9	अन्य व्यय साईन बोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी,सुतली,बोरी आदि कय करना वृक्षारोपण से बचने हेतु पोलिथीन सीट कय वर्ष में दो तीन बार फोटो ग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार प्रसार।			ल०सं०	8000.00
				योग-	181536.16

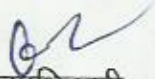
वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख रखाव

क्र० सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 5.32है०	12	माह	4260 प्रति माह	51120.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्र० है०।	5.32	है०	ल०सं०	5000.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4.00 मी० पट्टी साफ करना।	5.32	है०	ल०सं०	8000.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	01	गोँव	4000.00 प्र० गोँव	4000.00
3	अनुरक्षण अन्य कार्य।(10प्रतिशत वीटिंग अप सहित)			ल०सं०	18000.00
				योग-	86120.00

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख रखाव

क्र० सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण 5.32 है०।	12	माह	4260 प्रति माह	51120.00
2	अन्य कार्य।			ल०सं०	5000.00

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण 5.32 है०।	12	माह	4260 प्रति माह	51120.00
2	अन्य कार्य।			ल०सं०	5000.00
				योग—	56120.00
वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण 5.32 है०।	12	माह	4260 प्रति माह	51120.00
2	अन्य कार्य।			ल०सं०	5000.00
				योग—	56120.00
वृक्षारोपण का पंचम वर्ष का रख रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष में अनुरक्षण 5.32 है०।	12	माह	4260 प्रति माह	51120.00
2	अन्य कार्य।			ल०सं०	6000.00
				योग—	57120.00
वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण 5.32 है०।	12	माह	4260 प्रति माह	51120.00
2	अन्य कार्य।			ल०सं०	7000.00
				योग—	58120.00
वृक्षारोपण का सातवें वर्ष का रख रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवें वर्ष में अनुरक्षण 5.32 है०।	12	माह	4260 प्रति माह	51120.00
2	अन्य कार्य।			ल०सं०	8000.00
				योग—	59120.00
वृक्षारोपण का आठवें वर्ष का रख रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त आठवें वर्ष में अनुरक्षण 5.32 है०।	12	माह	426.00 प्रति है०	51120.00
2	अन्य कार्य।			ल०सं०	9000.00
				योग—	60120.00
वृक्षारोपण का नवें वर्ष का रख रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवें वर्ष में अनुरक्षण 5.32 है०।	12	माह	426.00 प्रति है०	51120.00
2	अन्य कार्य।			ल०सं०	10000.00
				योग—	61120.00
वृक्षारोपण का दसवें वर्ष का रख रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त दसवें वर्ष में अनुरक्षण 5.32 है०।	12	माह	426.00 प्रति है०	51120.00
2	अन्य कार्य।			ल०सं०	11000.00
				योग—	62120.00
				कुल योग—	1003236.88
				या—	10003237.00


 वनक्षेत्राधिकारी
 गोप वर वन क्षेत्र गोपेश्वर
 केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

उप वन संरक्षक
 केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

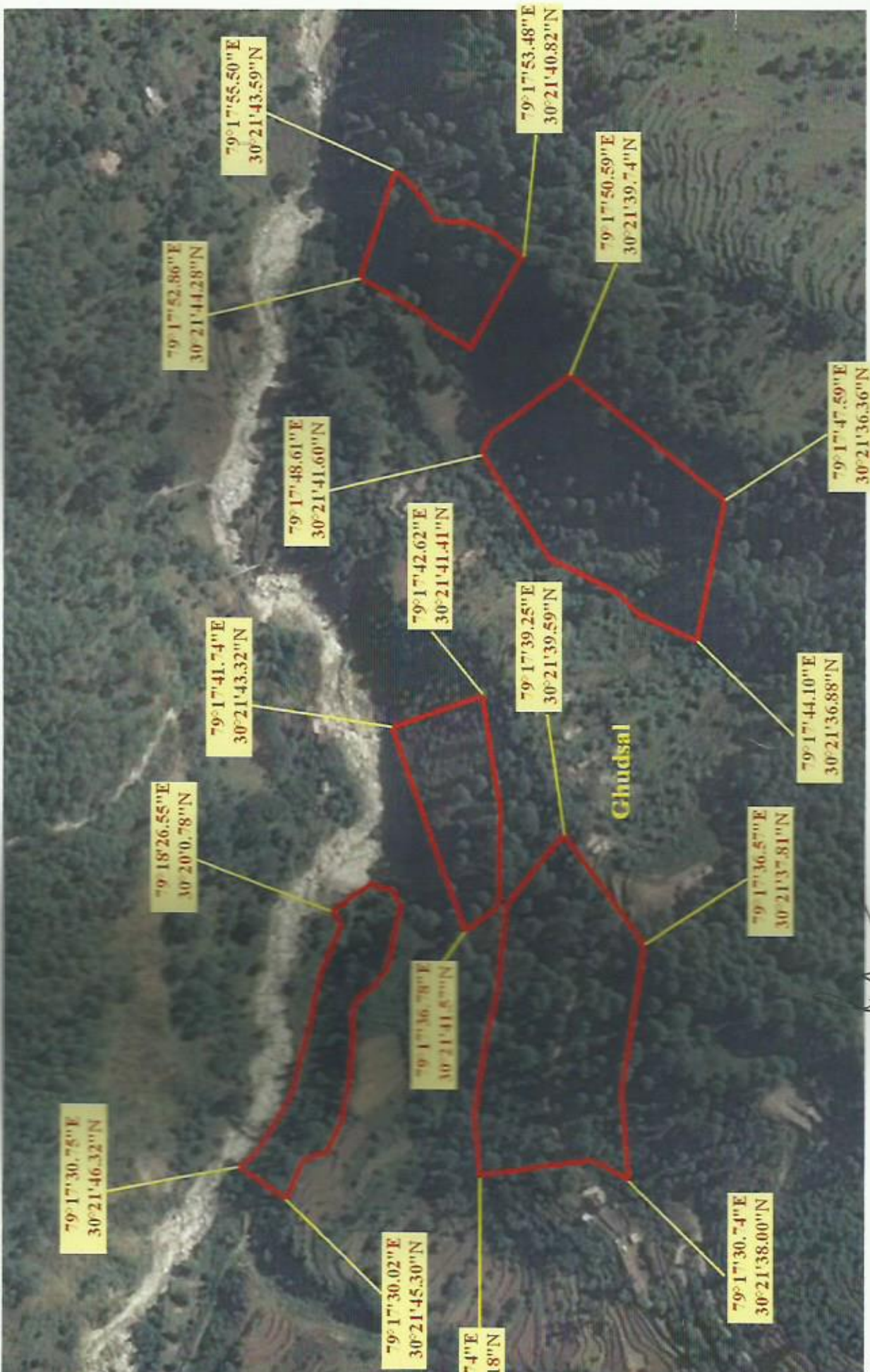
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल उपयुक्त प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण हेतु ग्राम दादड़ में 5.32 हे० सिविल भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त स्थल है।

वन क्षेत्राधिकारी
गोरेश्वर वन विभाग

उपवनसंरक्षक,
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

मानचित्र - जनपद चमोली के अन्तर्गत स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मांसौ - कफलखेत - दादर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वननित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल



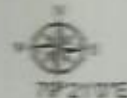
अधिशारी अधिवक्ता
जिला वन विभाग
जिला मुख्यालय
30/09/2022

5.32 Ha.

AC

डिजिटल मानचित्र - जनपद चमोली के अन्तर्गत स्पेशल कम्पोनंट प्लान के अन्तर्गत
मांसौ - ककलखेत - दादर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल

0 0.5 1 1.5 Km



Legend

Proposed Plantation 5.32 Ha.

Reserve Forest Area

Reserve Forest Boundary

Forest Range Boundary

Forest Division Boundary

[Signature]
D.E.

सहायक अभियन्ता

प्र० खण्ड लो० नि० बि०

गोपेश्वर

[Signature]

प्र० खण्ड लो० नि० बि०

गोपेश्वर

[Signature]

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम दादड़ गांव में 5.32 हेक्टेयर सिविल भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो स्थल चयन किया गया है, वह उपयुक्त है।

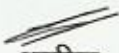

वन संरक्षक अधिकारी
क्षेत्रीय वन क्षेत्र

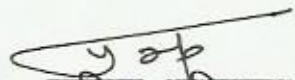

उपवन संरक्षक
उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

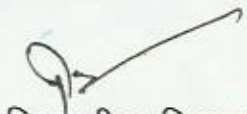
दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु 2.66 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन के एवज में समान अवनत वन क्षेत्र अर्थात् 5.32 हे० में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार लो०नि०वि० द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खं० लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

मार्ग के दोनों किनारों

52

~~विस्तृत~~ पड़े स्थान पर वृक्षारोपण प्राक्कलन

कार्य का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

स्थल का नाम	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित हेक्टेयर से किमी.	प्रस्तावित रोपण कार्य का विवरण	दर प्रति किमी. लाख में	धनराशि (लाख में)
1	2	3	4	5
जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।	6.00	पौधे का मूल्य - 100 पौधे रोपण कार्य, श्री गार्ड का डुलान मूल्य एवं तीन वर्षों तक अनुरक्षण	2.00	12.00


उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर


उप वन संरक्षक
गोपेश्वर

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

उ.प्र.
उ.प्र.


अधिकासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपबनार

पेड़ों की सूची

कार्य का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्रम सं०	कम्पार्टमेंट या गांव का नाम	पेड़ों की प्रजाति	पेड़ों की संख्या	पेड़ों की उम्र या व्यास सेमी०	वृक्षों की संख्या		वृक्षों की दर	वृक्षों की कीमत	विवरण
					काबिल	नाकाबिल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ग्राम मासौ	चीड़	11	0-10			88.00	968.00	
			18	10-20			176.00	3168.00	
			9	20-30			528.00	4752.00	
			18	30-40			2006.00	36108.00	
			5	40-50			4494.00	22470.00	
			14	50-60			8053.00	112742.00	
			7	60-70			12884.00	90188.00	
			2	70-80			18213.00	36426.00	
			11	80-90			23279.00	256069.00	
		आवंला	1	0-10			44.00	44.00	
			1	10-20			74.00	74.00	
		गैठी	1	0-10			44.00	44.00	
			1	10-20			74.00	74.00	
			1	30-40			161.00	161.00	
			1	40-50			382.00	382.00	
		कलभिन्डा	2	0-10			44.00	88.00	
			1	10-20			74.00	74.00	
			2	30-40			161.00	322.00	
		सेमल	1	10-20			161.00	161.00	
			2	20-30			708.00	1416.00	
			1	70-80			13514.00	13514.00	
		खड़ीक	2	0-10			44.00	88.00	
			4	10-20			74.00	296.00	
			5	20-30			81.00	405.00	
			5	30-40			161.00	805.00	
			1	70-80			996.00	996.00	
		आम	2	20-30			81.00	162.00	
			3	30-40			161.00	483.00	
			1	50-60			996.00	996.00	
		सादण	1	0-10			44.00	44.00	
			1	10-20			74.00	74.00	
			1	20-30			81.00	81.00	
			2	30-40			161.00	322.00	
			1	40-50			382.00	382.00	
		काफल	1	10-20			7.00	7.00	
			2	20-30			81.00	162.00	

		6	20-30			81.00	486.00	
		2	30-40			161.00	322.00	
	रोहणी	3	10-20			74.00	222.00	
		2	20-30			81.00	162.00	
	गोभी	1	0-10			44.00	44.00	
		1	10-20			74.00	74.00	
		1	20-30			81.00	81.00	
		1	40-50			382.00	382.00	
	तुन	1	20-30			708.00	708.00	
	शहतूत	1	10-20			44.00	44.00	
		5	20-30			74.00	370.00	
	तिमला	2	10-20			74.00	148.00	
		2	20-30			81.00	162.00	
		2	30-40			161.00	322.00	
	सिरसू	1	20-30			81.00	81.00	
		2	40-50			382.00	764.00	
	खोंकी	1	0-10			44.00	44.00	
	रीठा	1	40-50			382.00	382.00	
	मेहल	1	10-20			74.00	74.00	
		1	20-30			81.00	81.00	
		2	30-40			161.00	322.00	
	कचनार	1	30-40			161.00	161.00	
	महुवा	1	30-40			161.00	161.00	
	योग :-	190					590633.00	

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशारी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

पटवारी

सह सहायक
(सदर)
घमोल

उपजिलाधिकारी

विश्व क्षेत्राधिकारी

गोपेश्वर जंज

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
उप वन्य सहायक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

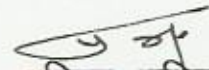

अधिशोषी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना में वृक्षों की सूची संलग्न है।


अमीन



कनिष्ठ अभियन्ता सहायक अभियन्ता



अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत स्पेशल कम्पोनंट प्लान के अन्तर्गत मासों-कफलखेत-
दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु मलवा निस्तारण योजना।

मासों-कफलखेत- दादर मोटर मार्ग में अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०, गोपेश्वर के द्वारा उत्पादित होने वाले मलवे के निस्तारण की योजना का अध्ययन किया गया तथा संतोषप्रद पाते हुए इससे सहमति प्रदान की गई।



(आकाश कुमार वर्मा)

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत
मासौ-कफलखेत-दादर मोटर का नव निर्माण

मक डिस्पोजल हेतु वनीकरण एवं अभियांत्रिकी कार्यों में जो भी व्यय होगा, उसे लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुसार उपलब्ध करा दिया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
 प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
 गोपेश्वर

सहायक अभियन्ता
 प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
 गोपेश्वर

अधिशाली अभियन्ता
 प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
 गोपेश्वर

MUCK DISPOSAL EXERCISE INDEX

- 1- Construction of Mason-Kaphalkhet-Dadar motor road.
Under State Sector (S.C.P.)
- 2- Details of Muck Disposal Yards with Land Owner
Annexure II

61

Annexure -I

Name of Work :-

Construction of Mason-Kaphalkhet-Dadar motor road. Under State Sector (S.C.P.)

Sl. No.	Item	No.	L	B	H	Quantity	Unit
1	Material received from hill side cutting taking 80% of total quantity						
		(1x1/2x6000x7x3)x80%				50400.00	Cum
2	Swell Factor	Taking 40% of total quantity				20160.00	Cum
			Total Muck -			70560.00	Cum
DISPOSAL AND USE OF MATERIALS							
1	R.R. stone masonry 1:6	1x100	20.00	(0.60+1.27)/2	2.00	3740.00	Cum
2	R.R. stone masonry laid in Dry	1x100	20.00	(0.60+1.27)/2	2.00	3740.00	Cum
3	H.P. stone filling	1x100x1/3	20.00	(1+.5)/2	1.50	750.00	Cum
4	P/L of wire creat wall	1x100	3.00	1.50	1.50	675.00	Cum
5	C/O parapets	1x160	3.00	0.60	0.45	129.60	Cum
6	Granular sub base/base/ surface	1x125	25.00	3.75	0.10	1171.88	Cum
			Total Used Materials :-			10206.48	Cum
	Material Disposal by Cartage in Dumping Yard					60353.53	Cum
LOCATION AND QUANTITY OF DEBRIES DISPOSAL							
Sl. No.	Location of dumping yard	Size of dumping yard	Type of land	capacity of dumping yard	Unit		
1	X.S. 0/28	30x6x3.50	Civil	630.00	cum		
2	X.S. 1/20	30x6x3.50	Civil	630.00	Cum		
3	X.S. 2/24	30x6x3.50	Civil	630.00	Cum		
4	X.S. 3/17	30x6x3.50	Private	630.00	Cum		
5	X.S. 4/15	30x6x3.50	Civil	630.00	Cum		
6	X.S. 5/23	30x6x3.50	Civil	630.00	Cum		
			Total-	2520.00	Cum		
SUMMARY OF DABRIES (MUCK) DISPOSAL							
Sl. No.	Total Dabries	Material diposed by Cartege	Reused materials (road construction)	Total Disposal in Dumping Zone	Balance Dabries		
1	70560.00	60353.53	10206.48	60353.53	0.00		

Annexure -II

Details of Muck Disposal Yards with Land Owner Detail

Sl. No.	Chainage	Name of Land Owner & Village	Land in Hec.	Land in Sqm	Land area being used for dumping yard (sum)	Longitude	Latitude
1	X.S. 0/28	Uttarakhand Govt. Land <i>Mahon Village</i>	0.024	240.00	240.00	79°18'31.78" E	30°19'53.63" N
			0.024				
2	X.S. 1/20	Uttarakhand Govt. Land <i>Mahon Village</i>	0.021	210.00	240.00	79°18'18.73" E	30°19'58.57" N
		Total-	0.021				
3	X.S. 2/24	Uttarakhand Govt. Land <i>Kafalkhet Village</i>	0.018	180.00	240.00	79°17'59.15" E	30°20'8.49" N
			0.018				
4	X.S. 3/17	Sri Pradeep Singh <i>Kafalkhet Village</i>	0.015	150.00	240.00	79°18'14.62" E	30°20'14.40" N
			0.015				
5	X.S. 4/15	Uttarakhand Govt. Land <i>Dadlar Village</i>	0.024	240.00	240.00	79°17'40.95" E	30°20'12.83" N
			0.024				
6	X.S. 5/23	Uttarakhand Govt. Land <i>Dadlar Village</i>	0.021	210.00	240.00	79°17'38.36" E	30°20'7.76" N
			0.021				
		Grand Total-	0.123	1080.00	1200.00		
				or	<u>0.120</u>	<u>Hec.</u>	

306
J.E

AE

अधिरासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
श्रीपेश्वर

अधिरासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग

मक डिस्पोजल के सापेक्ष वृक्षारोपण

परियोजना का नाम— जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासों—कफलखेत—दादर मोटर का नव निर्माण हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन

वृक्षारोपण स्थल का नाम— मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित प्लान के अनुसार क्षेत्रफल

रोपित किये जाने वाले पौधों की की सं. (कुल क्षेत्रफल X 2000 पौधे) = $0.12 \times 2000 = 240$

प्रथम चरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	मात्रा	यूनिट	दर रु में	योग
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.120	hect	78.00	9.36
2	स्थल सफाई कार्य	0.120	hect	2543.00	305.16
3	कुली दीवार बन्दी कार्य / फनिसंग (150 मी./हे. = 81 घन मी. / 172 घन मी.)	0.120	hect	15309.00	1837.08
4	गडढा खुदान (0.30X 0.30X 0.45) रेखांकन चूना सहित	240.00	Gaddha	5.420	1300.80
5	डी.ए.पी. खाद की लागत (25 ग्राम प्रति गडढा)	4.80	kg	19.00	91.20
6	निरीक्षण बटिया बनाना (400 रु प्रति हे.)	0.12	hect	624.00	74.88
7	पौधे की कीमत प्रथम वर्ष	240.00	podhe	4.30	1032.00
8	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10 हे.) के आधार पर मानते हुए				0.00
	1 वानस्पतिक/स्टोन चैकडैम 8 $\times$ 4588 = 36700.00				0.00
	2 वाटर हावेस्टिंग टैंक (3 $\times$ 2.50X1.00) 5X 5140 = 25700.00				0.00
	योग = 62400.00	0.120	hect	62400.00	7488.00
	योग प्रथम चरण—				12138.48

द्वितीय चरण—

1	झाड़ी कटान (लेन्टाना गाजर घास/ काला बांस)	0.120	hect	1287.00	154.44
2	गडढा भरान (0.30X 0.30X 0.45) रेखांकन चूना सहित	240.000	Gaddha	0.97	232.80
3	पौधा ढुलान कार्य	240.000	podhe	6.00	1440.00
4	पौधा रोपण व थाला बन्दी	240.000	podhe	1.89	453.60
5	पौधे की प्रथम निराई गुड़ाई एवं मलचिंग कार्य	240.000	podhe	1.29	309.60
6	पौधे की द्वितीय निराई गुड़ाई एवं मलचिंग कार्य	240.000	podhe	1.11	266.40
7	पौधे की कीमत द्वितीय वर्ष	240.000	podhe	1.20	288.00
8	प्रथम वर्ष में देख रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	0.120	hect	468/hect/month	505.44
9	अन्य कार्य	0.120	hect	310.00	37.20
	योग द्वितीय चरण—				3687.48

तृतीय चरण 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (बीटिंग अप) प्रति हे.

1	पौधे की लागत	240.00	podhe	5.50	1320.00
2	पौधा ढुलान कार्य	240.00	podhe	6.00	1440.00
3	पुन गडढा खोदना एवं रोपण कार्य	240.00	podhe	3.20	768.00
4	गडढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	240.00	podhe	1.31	314.40
5	पौधों की शीतकालीन मलिन	240.00	podhe	1.11	266.40
6	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.120	hect	468/hect/month	673.92
7	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	0.120	hect	310.00	37.20
	योग तृतीय चरण—				4810.92

अभिषेक अभियन्ता

1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.120	hect	468/hect/ month	673.92
2	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	0.120	hect	310.00	37.20
	योग चतुर्थ चरण				711.12
पंचम चरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.120	hect	468/hect/ month	673.92
2	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	0.120	hect	310.00	37.20
	योग पंचम चरण				711.12
छठवा चरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.120	hect	468/hect/ month	673.92
2	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	0.120	hect	310.00	37.20
	योग छठवां चरण				711.12
सातवा चरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.120	hect	468/hect/ month	673.92
2	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	0.120	hect	310.00	37.20
	योग सातवां चरण				711.12
आठवा चरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.120	hect	468/hect/ month	673.92
2	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	0.120	hect	310.00	37.20
	योग आठवां चरण				711.12
नौवां चरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.120	hect	468/hect/ month	673.92
2	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	0.120	hect	310.00	37.20
	योग नौवां चरण				711.12
दसवां चरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.120	hect	468/hect/ month	673.92
2	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	0.120	hect	310.00	37.20
	योग दसवां चरण				711.12
कुल धनराशि			प्रथम चरण		12138.48
			द्वितीय चरण		3687.48
			तृतीय चरण		4819.92
			चतुर्थ चरण		711.12
			पंचम चरण		711.12
			छठवां चरण		711.12
			सातवां चरण		711.12
			आठवां चरण		711.12
			नवम चरण		711.12
			दसवां चरण		711.12
			कूल योग		25623.72
			say		25624.00

अभिषेक अभियन्ता

राष्ट्रीय ग्राम विकास कार्यक्रम

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत मासों-काफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि/पेड़ पौधे अर्जित की जाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं, विभागीय दरो पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

प्रदीप सिंह
 नाम- प्रदीप सिंह
 पिता का नाम- सुरेन्द्र सिंह
 ग्राम- दादर

क्रास सेक्शन 3/17 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु
 काश्तकार श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह ग्राम..
दादर पटवारी वृत्त सोनेट तहसील एवं जिला-चमोली
 के नाप भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	खाता सं.	खसरा नम्बर	भूमि (हे. में)
1	8	585	0.010 हे०
		586	0.025 हे०
		592	0.019 हे०
			0.054 हे०


 उप राजस्व निरीक्षक

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत मासों-काफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि/पेड़ पौधे अर्जित की जाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं, विभागीय दरो पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

राजवर सिंह

नाम- राजवर सिंह

पिता का नाम- खुरेश सिंह

ग्राम- दादर

क्रास सेक्शन 3/17 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु
काश्तकार श्री राजवर सिंह पुत्र श्री खुरेश सिंह ग्राम दादर
दादर पटवारी वृत्त सेक्टर तहसील एवं जिला-चमोली
के नाप भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	खाता सं.	खसरा नम्बर	भूमि (हे. में)
1	8	595	0.035 हे०
		596	0.058 हे०
			0.093 हे०

राजवर सिंह
उप राजस्व निरीक्षक

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत मासों-काफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि/पेड़ पौधे अर्जित की जाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं, विभागीय दरो पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

पदीप सिंह

नाम- पदीप सिंह

पिता का नाम- खुरेन्द सिंह

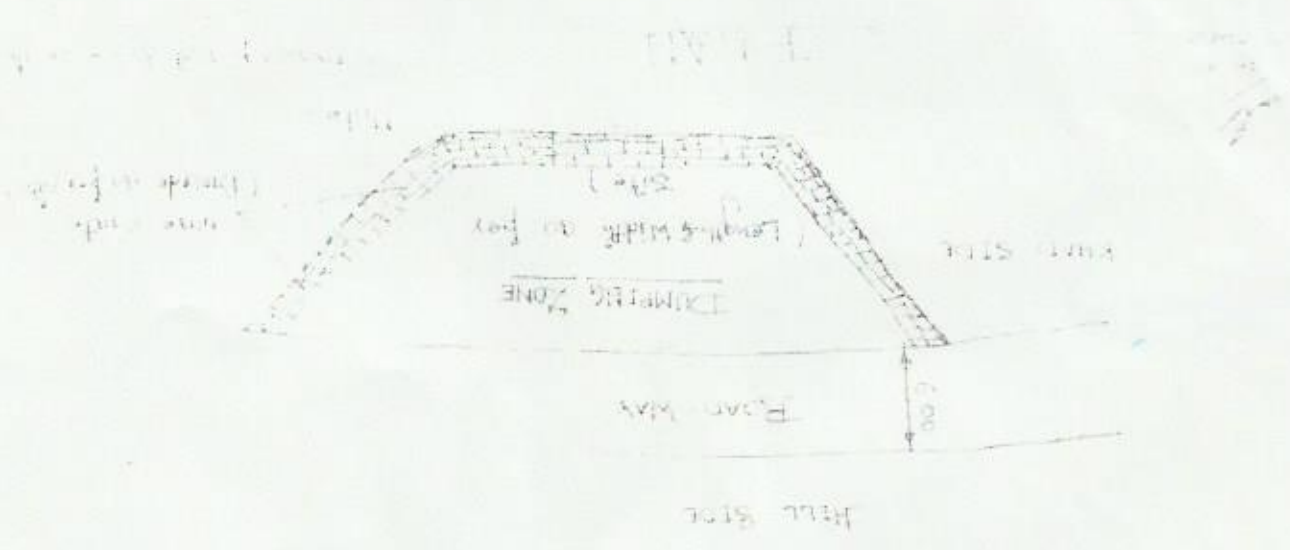
ग्राम- दादर

क्रास सेक्शन 3/17 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु
काश्तकार श्री पदीप सिंह पुत्र श्री खुरेन्द सिंह ग्राम..
दादर पटवारी वृत्त सेक्टर तहसील एवं जिला-चमोली
के नाप भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

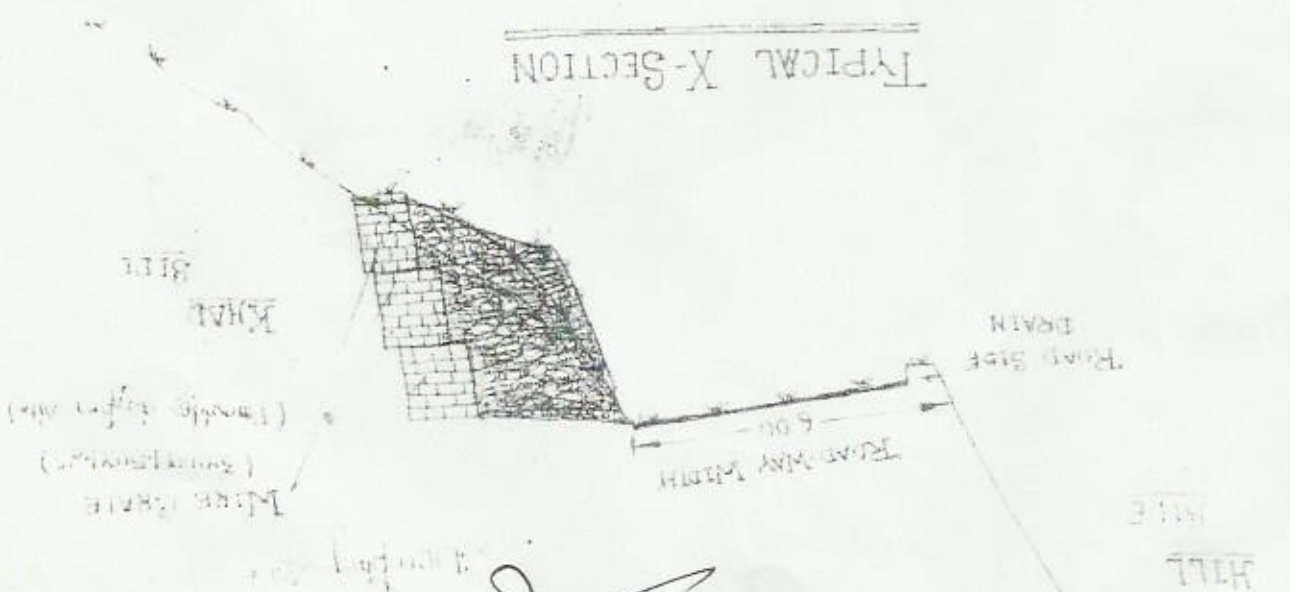
क्र.सं.	खाता सं.	खसरा नम्बर	भूमि (हे. में)
1	8	585	0.010 हे०
		586	0.025 हे०
		592	0.019 हे०
			0.054 हे०

उप राजस्व निरीक्षक

कार्य का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्युनेट प्लान के अन्तर्गत मासों कफलखेत
दादर मोटर मार्ग का निर्माण (ल० 6.00 किमी०)



TYPICAL X-SECTION



अभिप्रेत अभियन्ता
प्रदेशीय खण्डाधिकारी निर्माण वि०
जिला मजिस्ट्रेट काठमांडू नगरपालिका
अभिप्रेत अभियन्ता

अ

कार्य का नाम :- जनपद चमोली में स्थित कम्पोजिट प्लान के अन्तर्गत मासों कण्ठपेट
दादर मोटर मार्ग निर्माण, (69)



79°17'59.15"E

30°20'8.49 N



AOED

स्थल संरचना-03

अधिसूची अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर



कार्य का नाम :- जनपद चमोली में स्थल कम्पानिटे प्लान के अन्तर्गत माता कफावटे
द्वारा भीटर मार्ग का निर्माण, (72)



स्थल संख्या-05

79°17'40.95" E

30°20'12.83" N

Handwritten signature/initials
08EO

Handwritten signature/initials
AoEO

अधिसूची अधियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर



Handwritten signature/initials
AC

स्थल संख्या-06

79°17'28.31" E

30°20'30.12" N अधियन्ता

कार्य का नाम :- जनपद चमोली में रूपाशुल कम्पानेंट प्लान के अन्तर्गत मासों काफ़लवैर
वाटर मोटर मार्ग निर्माण।



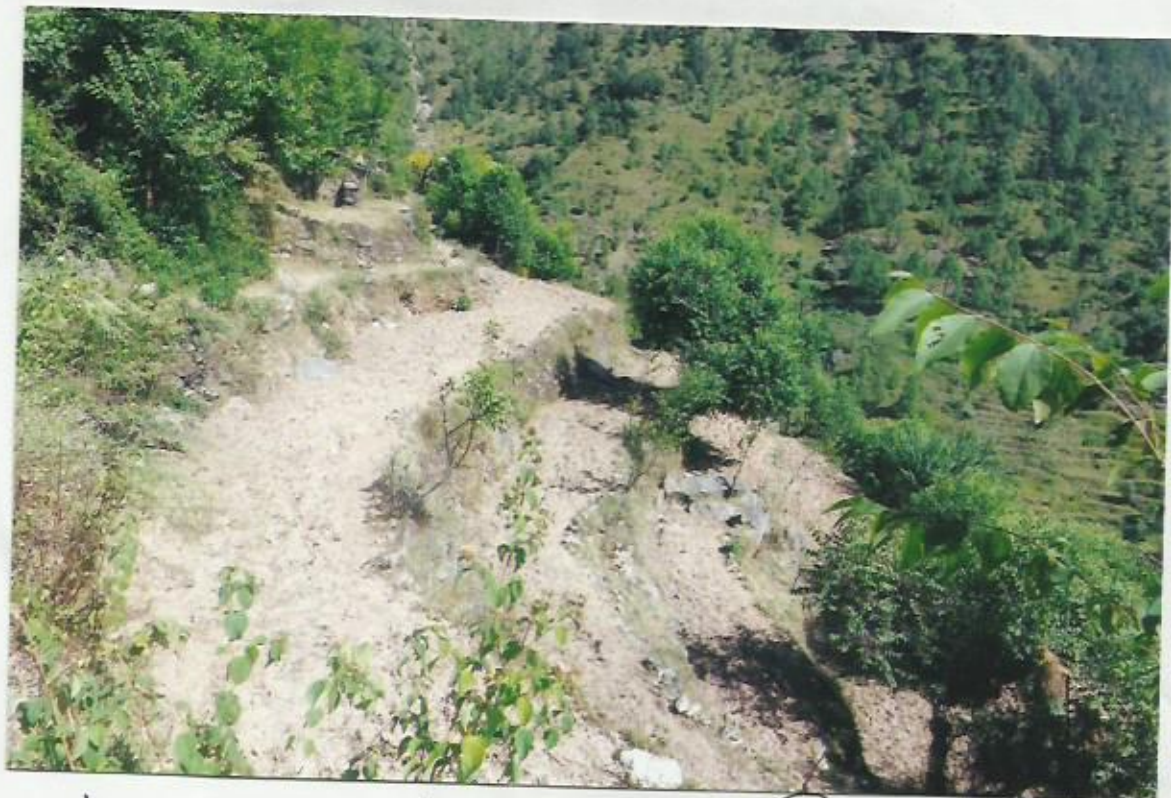
स्थल संख्या - 1

Longitude - $79^{\circ}18'31.78''E$ A₀E₀

Latitude - $30^{\circ}19'53.63''N$.

15/06/08

अधिसूची अधिवक्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर



स्थल संख्या - 02

परियोजना स्थल की किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व
प्रस्तावित स्थल की हवाईदूरी का प्रमाण पत्र।

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत स्पेशल कम्पोनंट प्लान के
अन्तर्गत मासों-कफलखेत- दादर मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि
राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित सड़क योजना की केदारनाथ
कस्तूरा मृग विहार की सीमा से समीपस्थ हवाई दूरी लगभग 12 किमी० (बारह किमी० मात्र) है।



(आकश कुमार वर्मा)

उप वन संरक्षक,

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर।

वन्य जीव/राष्ट्रीय पार्क से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दषोली के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.66 हे० सिविल वनभूमि, राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव बिहार का हिस्सा नहीं है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता

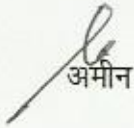

सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।


अमीन


कनिष्ठा अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

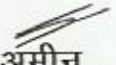
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण जनहित का निर्माण है। इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ग्राम वासियों की आम सभा हुई। आम सभा में निर्णय लिया गया कि इस निर्माण पर पड़ने वाली नाप भूमि/सिविल/वन पंचायत/आरक्षित भूमि आदि किसी प्रकार की भूमि में मोटर मार्ग निर्माण में इस ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है। मोटर मार्ग का निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जाता है।

प्रधान

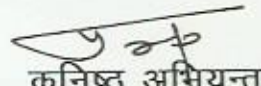
कार्य प्रारम्भ न करने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। वन भूमि हस्तान्तरण होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।



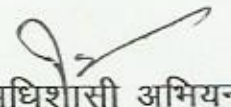
अमीन



कनिष्ठ अभियन्ता



सहायक अभियन्ता



अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

कार्यालय भूवैज्ञानिक,
जिला टास्क फोर्स, चमोली/रुद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार),
गोपेश्वर।

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक: 538/जि0टा0फो0/सड़क-मोटर मार्ग/2013-14, दिनांक 4 फरवरी, 2014

विषय: जनपद व तहसील चमोली में एस0सी0पी0 के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-देवखाल मोटर मार्ग से काफलखेत-दादर तक कुल 6.00 कि0मी0 मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या पत्र संख्या 2670/1 सी0, दिनांक 11.10.2013, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रुद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित व सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर को पृष्ठांकित है तथा जिसके द्वारा उपरोक्त स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण दिनांक 27.12.2013 को सम्पन्न किया गया। भूगर्भीय निरीक्षण आख्या आपके सुलभ संदर्भार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

भूवैज्ञानिक।

पृष्ठांक : /जि0टा0फो0/सड़क-मोटर मार्ग/2013-14 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : 1. जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. संयुक्त निदेशक/कार्यालयाध्यक्ष, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

भूवैज्ञानिक।

PROCOPY

ATT-ESTD

सत्य प्रमाणित

जनपद व तहसील चमोली में एस0सी0पी0 के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-देवखाल मोटर मार्ग से काफलखेत-दादर तक कुल 6.00 कि0मी0 मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

अधिसासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर के पत्र संख्या 2670/1 सी0, दिनांक 11.10.2013, जो कि भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रुद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित व सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर को पृष्ठांकित है तथा जिसके द्वारा जनपद व तहसील चमोली में एस0सी0पी0 के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-देवखाल मोटर मार्ग से काफलखेत-दादर तक कुल 6.00 कि0मी0 मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री मदन मोहन जोशी, कनिष्ठ अभियन्ता, श्री प्रदीप नेगी, कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री धूम सिंह, वर्क एजेंट, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर की उपस्थिति में दिनांक 27.12.2013 को भूगर्भीय निरीक्षण सम्पन्न किया गया। स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या निम्नवत है :-

प्रश्नगत मोटर मार्ग समरेखण स्थल नन्दप्रयाग-देवखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 2.000 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है जो कि अलकनन्दा नदी पर पूर्व निर्मित आयरन ब्रिज/अलकनन्दा नदी के दाहिने तट से प्रारम्भ होता है। उक्त सम्पूर्ण मोटर मार्ग समरेखण स्थल रिवर बोर्ड मटिरियल (आर0बी0एम0) व चट्टानी पहाड़ी ढाल पर निर्मित किया जाना प्रस्तावित है जिसमें स्थल का सम्पूर्ण पहाड़ी ढाल लगभग 10° - 50° तक दक्षिणपूर्व, दक्षिणपश्चिम व पुनः दक्षिणपूर्व पहाड़ी ढाल के साथ अवस्थित है। उक्त क्षेत्र के मध्य पड़ने वाले ग्राम नन्दप्रयाग, मासौ, काफलखेत, दादर आदि ग्राम क्षेत्र अवस्थित हैं जो कि मोटर मार्ग निर्माण के पश्चात् सीधे नन्दप्रयाग-देवखाल मोटर मार्ग से जुड़ जायेंगे। उक्त मोटर मार्ग समरेखण अधिकांशतः मृदा बाहुल्य क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है जो कि मोटर मार्ग कटाव के पश्चात् वर्षाकाल के दौरान भूक्षरण हो सकता है।

मोटर मार्ग समरेखण के मध्य स्थानीय प्रजाति की घास, झाड़ियाँ व वृक्ष आदि उगे हुये दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उक्त मोटर मार्ग समरेखण के मध्य में दादर क्षेत्र में मोटर मार्ग समरेखण को ग्राम क्षेत्र के निचले भूभाग से गुजारा जाना प्रस्तावित है जो कि वर्तमान समय में भूधसांव से प्रभावित क्षेत्र है जिसमें कि मानवीय कार्यकलाप/मोटर मार्ग कटाव से भूस्खलन/भूधसांव क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। उक्त मोटर मार्ग समरेखण भूगर्भीय साहित्य में लेसर हिमालय के गढ़वाल समूह की चट्टानों में वर्गीकृत किया गया है जिसमें क्वार्ट्जिटिक, फिलिटिक व शिष्ट प्रकृति की चट्टानें विद्यमान हैं। उक्त चट्टानों की प्रसार व नति उत्तर 60° / 45° पूरब विद्यमान है जिसमें मोटर मार्ग समरेखण में चट्टानें पहाड़ी ढाल के ऑबलिक विद्यमान हैं जिससे कि मोटर मार्ग कटाव को आंशिक स्थायित्व प्राप्त किया जा सकता है।

0.000 कि0मी0 से 2.000 कि0मी0 तक :

उक्त के मध्य मोटर मार्ग समरेखण प्रारम्भ में 04 एच0पी0 बैंडों के साथ गुजारा जाना प्रस्तावित है जो कि प्रारम्भ में नदी तट पर स्वस्थाने चट्टानों के साथ प्रारम्भ किया जाएगा जिसमें अधिकांश भूभाग आर0बी0एम0 मटिरियल के रूप में अवस्थित है जिसमें कमजोर संयोजन क्षमता पायी गयी। मृदा का रंग हल्का भूरा व लाल प्रकृति का दृष्टिगोचर हो रहा है। उक्त के मध्य मोटर मार्ग समरेखण सीढ़ीनुमा आकार के कृषियुक्त

PROPOSED
SUGGESTED

खेतों के मध्य भूभाग से गुजारा जाना प्रस्तावित है जिसमें स्वस्थानें चट्टानों का पूर्ण अभाव विद्यमान है। अतः मोटर मार्ग कटाव के पश्चात् स्वाइल मैकेनिक्स के सुरक्षित लॉजिकल सिद्धान्तों का पालन किया जाना उचित होगा। साथ ही मोटर मार्ग कटाव के शीघ्र बाद आवश्यक रिटेनिंग व ब्रेस्टवाल का निर्माण किया जाय।

2.000 कि०मी० से 4.000 कि०मी० तक :

उक्त के मध्य मोटर मार्ग समरेखण पहाड़ी रिज के उत्तरपश्चिमी पहाड़ी ढाल पर निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसमें कि स्थल का सामान्य पहाड़ी ढाल लगभग 20° – 35° उत्तरपश्चिम अवस्थित है। उक्त के मध्य मोटर मार्ग समरेखण मृदा बाहुल्य क्षेत्रों में से होकर गुजारा जाना प्रस्तावित है जिसके मध्य मोटर मार्ग समरेखण 01 एच०पी० बैंड के निर्माण से मोटर मार्ग समरेखण का निर्माण किया जाएगा।

4.000 कि०मी० से 6.000 कि०मी० तक :

उक्त के मध्य मोटर मार्ग समरेखण में मोटर मार्ग को 04 एच०पी० बैंडों के साथ गुजारा जाना प्रस्तावित है जिसमें कि मोटर मार्ग समरेखण दो पहाड़ी ढालों पर निर्मित किया जाएगा जिसमें दक्षिणपूर्व व दक्षिणपश्चिम फेंसिंग पहाड़ी ढाल अवस्थित हैं। उक्त के मध्य ग्राम दादर अवस्थित है जो कि वर्तमान समय में भूधसांव से प्रभावित क्षेत्र है जिसके निचले भूभाग से मोटर मार्ग समरेखण को गुजारा जाना प्रस्तावित है अतः उक्त भूभाग को एवोर्ड करते हुए मोटर मार्ग समरेखण को गुजारा जाना उचित होगा। साथ ही पहाड़ी ढालों पर अवस्थित फर्स्ट ऑर्डर ड्रेनेज ढालों को अवरुद्ध न किया जाय जिससे कि वर्षाकाल के दौरान होने वाले मृदा अपरदन को न्यून किया जा सके।

विचारणीय बिन्दु :

1. चूंकि उक्त स्थल भूकम्पीय जोन-V में अवस्थित है अतः लघु से मध्यम तथा यदाकदा अधिक तीव्रता के भूकम्पनों से स्थल प्रभावित हो सकता है।
2. उक्त मोटर मार्ग समरेखण के मध्य पड़ने वाले भूधसांव/भूस्खलन क्षेत्रों को एवोर्ड करते हुए मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाय तथा ग्राम क्षेत्रों में मोटर मार्ग के अपसाइड व डाउनसाइड में पड़ने वाले भवनों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मोटर मार्ग का निर्माण किया जाय।

सुझाव एवं शर्तें :

1. समरेखण स्थल वन भूमि होने की दशा में माननीय उच्चतम न्यायालय के वन संरक्षण अधिनियम-1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 में निहित सम्पूर्ण प्राविधानों एवं समय-समय पर पारित अन्य नियमों के अनुरूप वन विभाग से समुचित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।
2. अन्कन्सॉलिडेटेड मृदा/मलवायुक्त भूभागों में मोटर मार्ग कटाव के पश्चात् शीघ्र पक्की टो सपोर्ट व मजबूत रिटेनिंग/ब्रेस्टवाल (वीप हॉल व स्क्रीनिंग मटिरियल युक्त) का निर्माण किया जाय।
3. मोटर मार्ग कटाव के शीघ्र पश्चात् टो सपोर्ट वाल का निर्माण आवश्यक होगा ताकि लम्बे कटाव अन्तराल से भूकटाव वाले भूभाग (मदर स्वाइल) पुनः स्थिर हो सके।

16/08/88
ARRESTED

46

तत्त्व विभाग

संयोजक

संयोजक

4. मोटर मार्ग को शीघ्र पक्का कर सतही जल प्रवाह/अधोभूमि जल रिसाव को अन्दरूनी पहाड़ी ढाल की दिशा में अधिकतम विमा/आयतन की पक्की ड्रेनेज नालियों द्वारा नियन्त्रित कर सतही जल प्रवाह को सुरक्षित स्थल/नालों में छोड़ा जाय।
5. जहाँ तक सम्भव हो रिटेनिंग वाल एवं ब्रेस्टवाल का आधार पर्याप्त गहराई तक दृढ़, कठोर व कॉम्पीटेन्ट ताजा (फ्रेश) स्वस्थानें चट्टानों में रखा जाय।
6. मोटर मार्ग निर्माण के दौरान भिन्न-भिन्न स्थलों पर बनायी जाने वाली सुरक्षा दीवारों का निर्माण स्थल की चट्टानों, मृदा की भार ग्राह्यता क्षमता के अनुरूप ही निर्माण कार्य किया जाय।
7. यथासम्भव कट एण्ड फिल का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त मलवे को उचित स्थल पर एकत्रित कर समुचित आकार स्थायित्व हेतु प्रदान करना उचित होगा।
8. सम्पूर्ण मोटर मार्ग समरेखण में मृदा व हिलस्लोप डेबरी को फैलने/बहने से रोकने के लिए मजबूत ब्रेस्टवाल (वीप हॉल सहित) का निर्माण करना आवश्यक होगा।
9. मोटर मार्ग समरेखण में विस्फोटकों का कम से कम प्रयोग हो ताकि अधोभूमि चट्टानी सन्धियों व फ्रैक्चर्स चौड़े न होकर जल रिसाव से भूस्खलन/भूधसांव की सम्भावना को कम कर सके।
10. सम्पूर्ण मोटर मार्ग के सतही जल प्रवाह को सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित ढंग से नियन्त्रित कर दूर किसी सुरक्षित स्थल/नालों में छोड़ा जाय।
11. मोटर मार्ग समरेखण स्थल का मलवा पहाड़ी ढाल पर न फैलाकर किसी सुरक्षित स्थल पर बिछाया/इकट्ठा किया जाय तथा मड फलो से बचने के लिए पूर्व में ही आवश्यक प्रबन्ध कर लिये जाय।
12. मोटर मार्ग समरेखण में तीव्र पहाड़ी ढालों पर मोटर मार्ग निर्माण कार्य करने से पूर्व स्थल के एंगिल ऑफ रिपोज का आंकलन किया जाना उचित होगा जिससे भूस्खलन व भूधसांव क्षेत्रों को न्यून किया जा सके।
13. मोटर मार्ग समरेखण के मध्य कतिपय स्थानों पर अपहिल दिशा में हाई स्लोप जोन एवं लूज डेबरी दृष्टिगोचर होती है जिन्हें अपहिल दिशा में रोड़ कटिंग के दौरान तत्काल मजबूत रिटेनिंग वाल (वीप हॉल सहित) से संरक्षित किया जाना आवश्यक होगा।

PHOTOCOPY
ADJUSTED
SE

प्रस्तावित स्थल पर एकत्रित किये गये सतही आंकड़ों, भूआकृति, भूप्रकृति एवं भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं, सुझाव व सुरक्षा उपायों के साथ दैवीय आपदाओं को छोड़कर समरेखण स्थल, वर्तमान परिस्थितियों में मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त समझा जाता है।

सहायक भूवैज्ञानिक
मार्गदर्शक

(अमित गौरव)
सहायक भूवैज्ञानिक

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.

- (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशोषी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

मानक शर्तें

(वन अनुभाग -3, उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या 7314/14-3-980/82
दिनांक 31-12-1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी ।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जावेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदाति नहीं ।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा ।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है
5. हस्तांतरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे, और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा ।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की देखभाल करेगा
7. हस्तांतरित वन भूमि पर विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तांतरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी ।
8. बहुमूल्य वन संपदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन संपदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छंद विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जायेगी ।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा अपलब्ध करायी जायेगी ।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति बिना किसी प्रकार के प्रतिकर भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी । वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (नजबतजपब) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगी ।
11. सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी. दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को मामूली फेरबदल कर पक्का करना होगा बशर्ते ऐसा याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है ।

13. वन भूमि में खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तरांचल वन विकास निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन करना आवश्यक हो, तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बांज (बाँज) के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊंचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है, जो न्यूनतम पेड़ों की संख्या सुयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक होगा।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का कराना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक विभाग अपने व्यय से स्वयं करायेगा।

17. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगायी जाती हैं, तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

उपरोक्त शर्तें लोक निर्माण विभाग को मान्य हैं।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

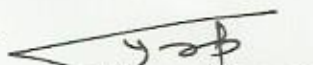
अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

भूगर्भवेत्ता द्वारा दिये गये सुझावों के अनुपालन सम्बन्धित प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण के दौरान भूगर्भवेत्ता द्वारा अपने निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स प्रमाण पत्र

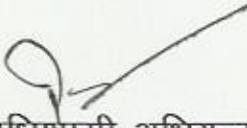
परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की सभी शर्तें याचक विभाग को पूर्ण रुप से मान्य है ।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

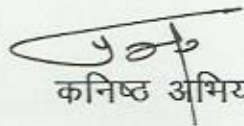

अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

मकान पेड़ आदि का प्रमाण पत्र

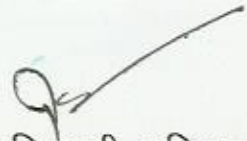
परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग से ग्राम ग्वाड़ मोटर मार्ग निर्माण में पड़ने वाली भूमि के अन्दर कोई भी मकान, मंदिर, कब्रस्थान, मस्जिद आदि नहीं पड़ते हैं।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


पटवारी


सहस्रीलक्ष
(सदर)
चमोली

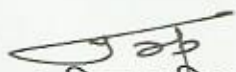

उपजिलाधिकारी,
चमोली

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

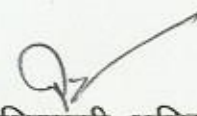
वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान लो०नि०वि० द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

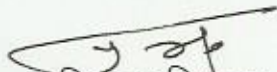

अधिशोषी अभियन्ता
प्रा० ख० लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

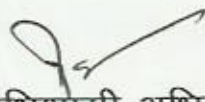
कैरोसिन आयल/वैकल्पिक ईंधन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दषोली के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण कार्य के समय विभागीय ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को कैरोसिन आयलन/वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करा दिया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची एवं परिवारों की संख्या का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण के पूरी लम्बाई में निर्माण हो जाने से से निम्न ग्राम/आबादी प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे

क्रम सं.	ग्राम का नाम	परिवारों की संख्या	2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	मासौ	125	519
2.	कफलखेत	18	90
3.	देवर	22	100
4.	दादर	23	182
	योग :-	188	891

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:—जनपद चमोली के अन्तर्गत मासौं— कफलखेत— दादर मोटर मार्ग का निर्माण।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007 -एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है:-

- 1- इको-क्लास की श्रेणी..... V
- 2- हरियाली का धनत्व..... 0.5
- 3-एन0पी0वी0 की दर9,39,000
- 4-आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.....2.768
- 5-कुल देय एन0पी0वी0.....रु0 25,99,152 (पच्चीस लाख निनानवें हजार एक सौ बावन रु0)



(आकाश कुमार वर्मा)

उप वन संरक्षक,

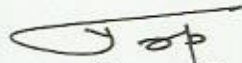
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

एन.पी.वी. प्रमाण पत्र

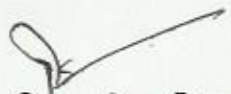
परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दषोली के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि की स्वीकृति मिलने पर एन.पी.वी. की धनराशि यदि मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप बढ़ी हुई एन०पी०वी० धनराशि का भुगतान वनविभाग को किया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता

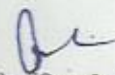

सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत मासों कफलखेत, दादर मोटरमार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्राक्कलन बावत- घुडसाल सिविल 5.32 है० में सीमांकन हेतु पिल्लर निर्माण कार्य।
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर वर्ष 2014-15 गोपेश्वर वन क्षेत्र गोपेश्वर

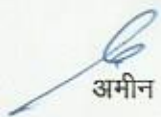
क्र०सं०	कार्य का विवरण	सं०	ल०	चौ०	ऊ०	मात्रा	दर	धनराशि	आ०नं०
1	सीमा स्तम्भ हेतु सफाई एवं सर्वेक्षण कार्य	02 श्रमिक 02 दिन					211.00	422.00	
2	सीमा स्तम्भ हेतु बुनियाद खुदान	30	0.50	0.50	0.45	3.38	194.99	658.09	80975
3	सीमा स्तम्भ की बुनियाद में 1:2:4 में आर०सी०सी० कार्य	30	0.50	0.50	0.45	3.38			
	1:2:4 में सीमा स्तम्भ का निर्माण	30	0.45	0.45	0.45	2.73			
						6.11	6139.46	37504.43	81063
4	सीमा स्तम्भ हेतु सरिया कय करना	6.11×0.785=4.79kg					5535.00	26547.79	
5	बैन्डिंग तार कय करना					250g	100/kg	25.00	
6	सीमा स्तम्भ हेतु सीटरिंग कय करना मय दुलान					4.05	186.90	756.95	81125
7	सीमा स्तम्भ हेतु 1:6 में प्लास्तर कार्य लम्ब	30×4	0.45		0.45	24.30			
	ऊपर	30×1		0.45	0.45	6.07			
						30.37	126.48	3841.20	81958
8	सीमा स्तम्भ पर सफेदी कार्य					30.37	76.07	2310.25	82026
							Total	72065.70	
							0r	72066.00	

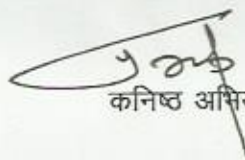

 वन क्षेत्र अधिकारी
 गोपेश्वर वन क्षेत्र गोपेश्वर
 केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासों-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

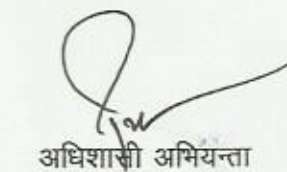
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि का विवरण

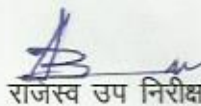
क.म.	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	खाता संख्या	वृक्षारोपण हेतु लिया गया क्षेत्रफल(हे० में)
1	घुड़साल	1830	45	1.796
		2176	45	0.628
		2183	45	1.620
		2197	45	1.492
	सम्पूर्ण योग	4 नं.		5.536 हेक्टेयर

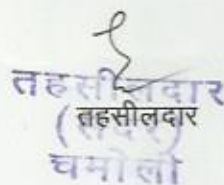

अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशास्त्री अभियन्ता
प्रा.खण्ड लो.नि.वि. गोपेश्वर


राजस्व उप निरीक्षक

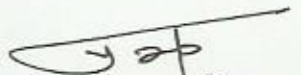
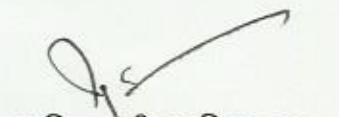

तहसीलदार
(तहसील)
चमोली


उपजिलाधिकारी
चमोली

चैक लिस्ट का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में चैक लिस्ट के अनुरूप समस्त सूचनायें संलग्न की गई हैं।


अमीन
कनिष्ठ अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खं० लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

फैक्ट सीट

- 1 कार्य का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
- 2 प्रस्तावत भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हे.) :-

आरक्षित वन भूमि -	-
सिविल एवं सोयम वनभूमि -	2.66
वन पंचायत वन भूमि -	
निजी भूमि -	1.54
योग -	4.20
- 3 प्रस्तावक विभाग का नाम :- प्रा.खण्ड, लो.नि.वि., गोपेश्वर
- 4 वन प्रभाग का नाम :- केदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर
- 5 प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है - हां/नहीं
- 6 प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है - हां/नहीं
- 7 क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग 1,2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है - हां/नहीं
- 8 क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है - हां/नहीं
- 9 प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है -
- 10 प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या सूची/प्रमाण पत्र संलग्न है - हां/नहीं
- 11 बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है - हां/नहीं
- 12 प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है -
- 13 समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है - हां/नहीं
- 14 क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली घनत्व सही है - हां/नहीं
- 15 क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है - हां/नहीं
- 16 क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है - हां/नहीं
- 17 प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है - हां/नहीं
- 18 क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है - हां/नहीं

- 19 प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है - हां/नहीं
यदि हां तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है - हां/नहीं
- 20 क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है - हां/नहीं
- 21 प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है - (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाता है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) हां/नहीं
- 22 क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2 रंगों से भरा है - हां/नहीं
- 23 यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है - हां/नहीं
- 24 क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षक) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है -
- 25 यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों /कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।
- 26 सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं - हां/नहीं
- 27 वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय) हां/नहीं
- 28 लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है - हां/नहीं
(5 हे. से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)
- 29 मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है - हां/नहीं
- 30 मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है - हां/नहीं
अथवा
मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है - हां/नहीं
- 31 राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है - हां/नहीं
- 32 क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है, यदि छाया प्रतियां संलग्न की गयी हैं तो क्या वे सत्यापित हैं - हां/नहीं
- 33 यदि वनभूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है -
- 34 वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है - हां/नहीं
- 35 क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है - हां/नहीं
- 36 क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्रा संलग्न हैं - हां/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फौकट सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई हैं

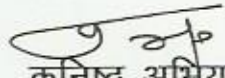

अधिरासी अभियन्ता

अन्य वैकल्पिक संरेखण प्रमाण पत्र

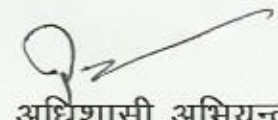
परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में गोपेश्वर-मण्डल मोटर मार्ग से ग्राम ग्वाड़ मोटर मार्ग निर्माण हेतु दो विकल्पों पर विचार किया गया, किन्तु प्रस्तावित संरेखण उपयुक्त है। इस संरेखण से अधिक से अधिक ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं तथा कम से कम वन सम्पदा का नुकसान हो रहा है। भू-गर्भवेत्ता द्वारा भी प्रस्तावित संरेखण को उपयुक्त बताया गया है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

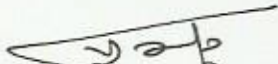
स्थल विशिष्ट होने/न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में दशोली विकास खण्ड के अन्तर्गत यह मार्ग पर्यटन की दृष्टि से विशिष्ट स्थल नहीं है।



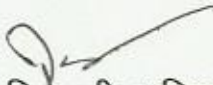
अमीन



कनिष्ठ अभियन्ता



सहायक अभियन्ता

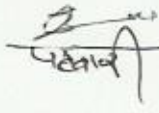


अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

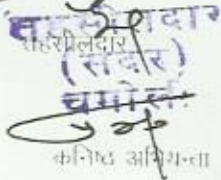
खसरे की नकल

कार्य का नाम :- जनपद बमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासों-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

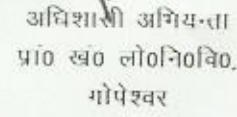
क्रम सं०	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	खाता नम्बर	नाम भूमिधर	लिया गया रकवा हे०	भूमि किसम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ग्राम मासों						
	866 ग०	0.408	17	उत्तराखण्ड सरकार	0.012	सैली	
	1442 ग०	1.230	16	उत्तराखण्ड सरकार	0.154	बंजर	
2	ग्राम - कफलखेत						
	560 ग०	0.650	3	उत्तराखण्ड सरकार	0.025	बंजर	
3	ग्राम दादर						
	402 ग०	1.580	12	उत्तराखण्ड सरकार	0.086	जंगल	
	403 ग०	5.085	13	उत्तराखण्ड सरकार	1.534	बासागाह	
	400 ग०	2.496	13	उत्तराखण्ड सरकार	0.075	बासागाह	
4	ग्राम देवर						
	1437 ग०	2.031	9	उत्तराखण्ड सरकार	0.451	जंगल	
	1422 ग०	2.587	9	उत्तराखण्ड सरकार	0.323	बांझा	
				योग	2.660		


प. क. शर्मा


प. क. शर्मा

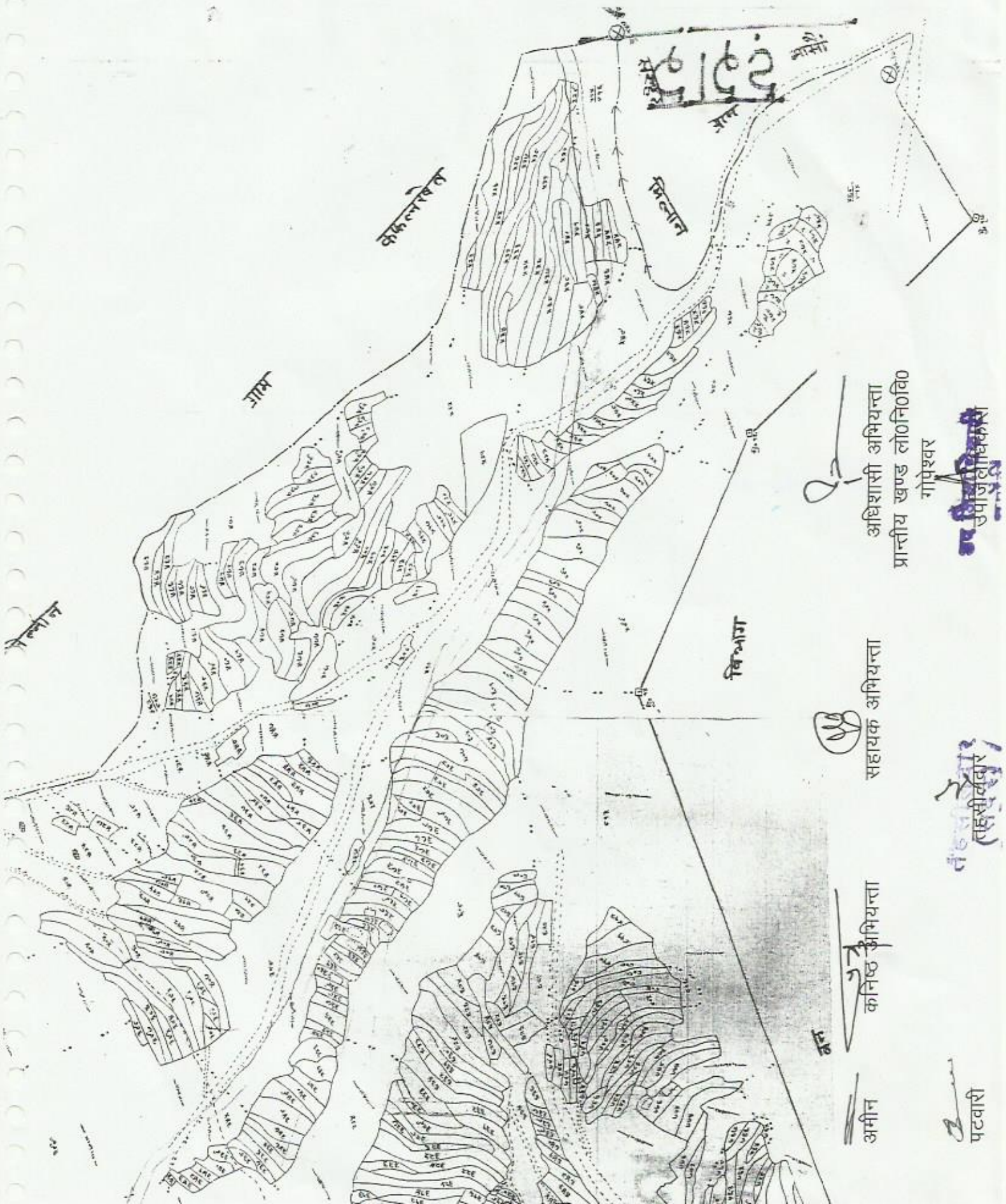

प. क. शर्मा
(सिद्धांत)
चमोली
कनिष्ठ अभियन्ता


प. क. शर्मा
(सिद्धांत)
चमोली
सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
गोपेश्वर

कार्य का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासों-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

101



अधिसासी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

उपनिर्देशक

सहायक अभियन्ता

तहसीलदार

कनिष्ठ अभियन्ता

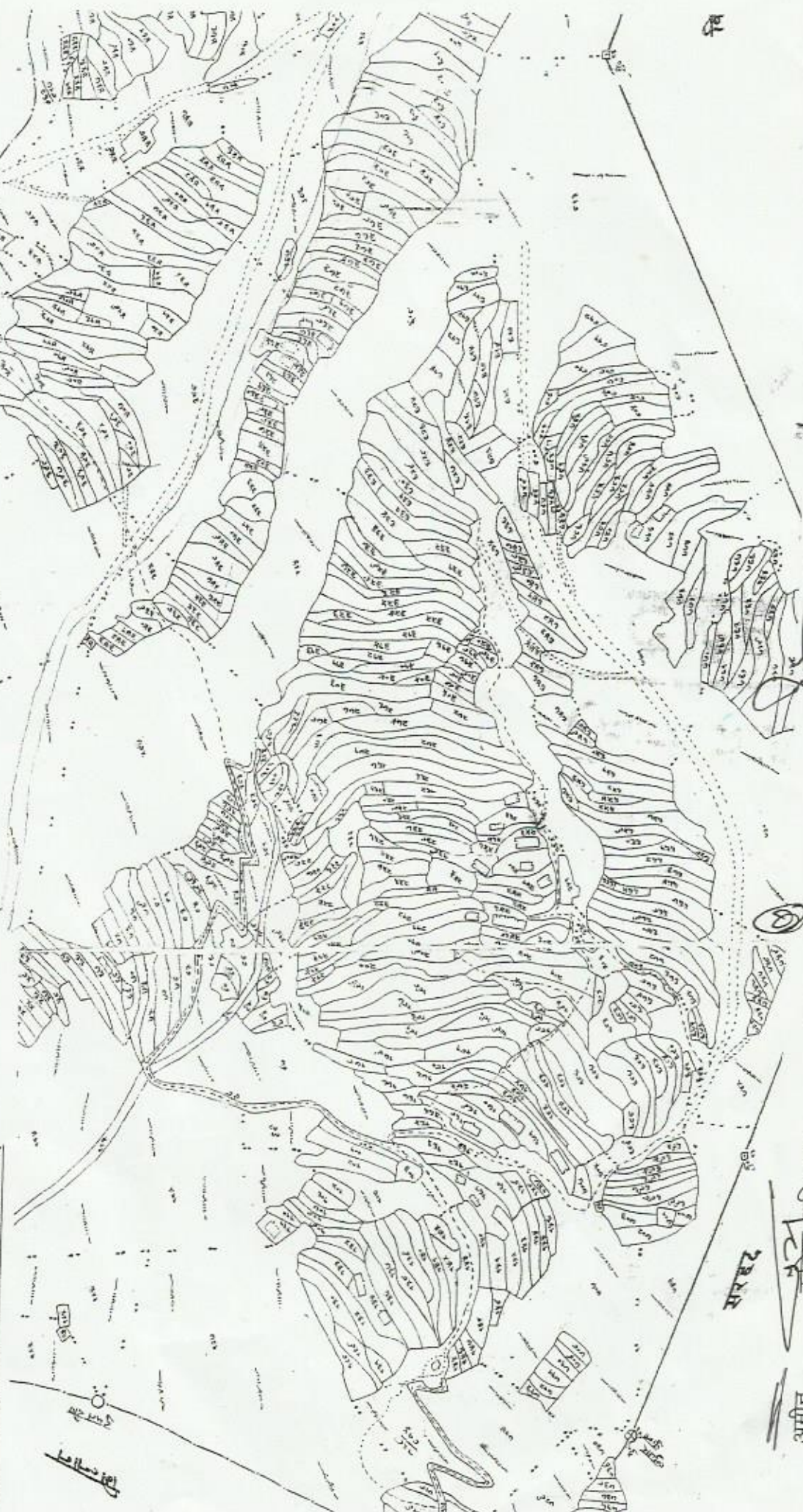
पटवारी

अमीन

सिन्धु

वि

जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासों-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।



अधिशाली अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

उपजिलाधिकारी

सहायक अभियन्ता
ज.स.स. ग.प.
L.N.V. ग.प.

तहसीलदार
(सहायक)

सरदार

कौन्सिल अभियन्ता

अमीन

पटवारी

कार्य का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासों-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।



अमीन

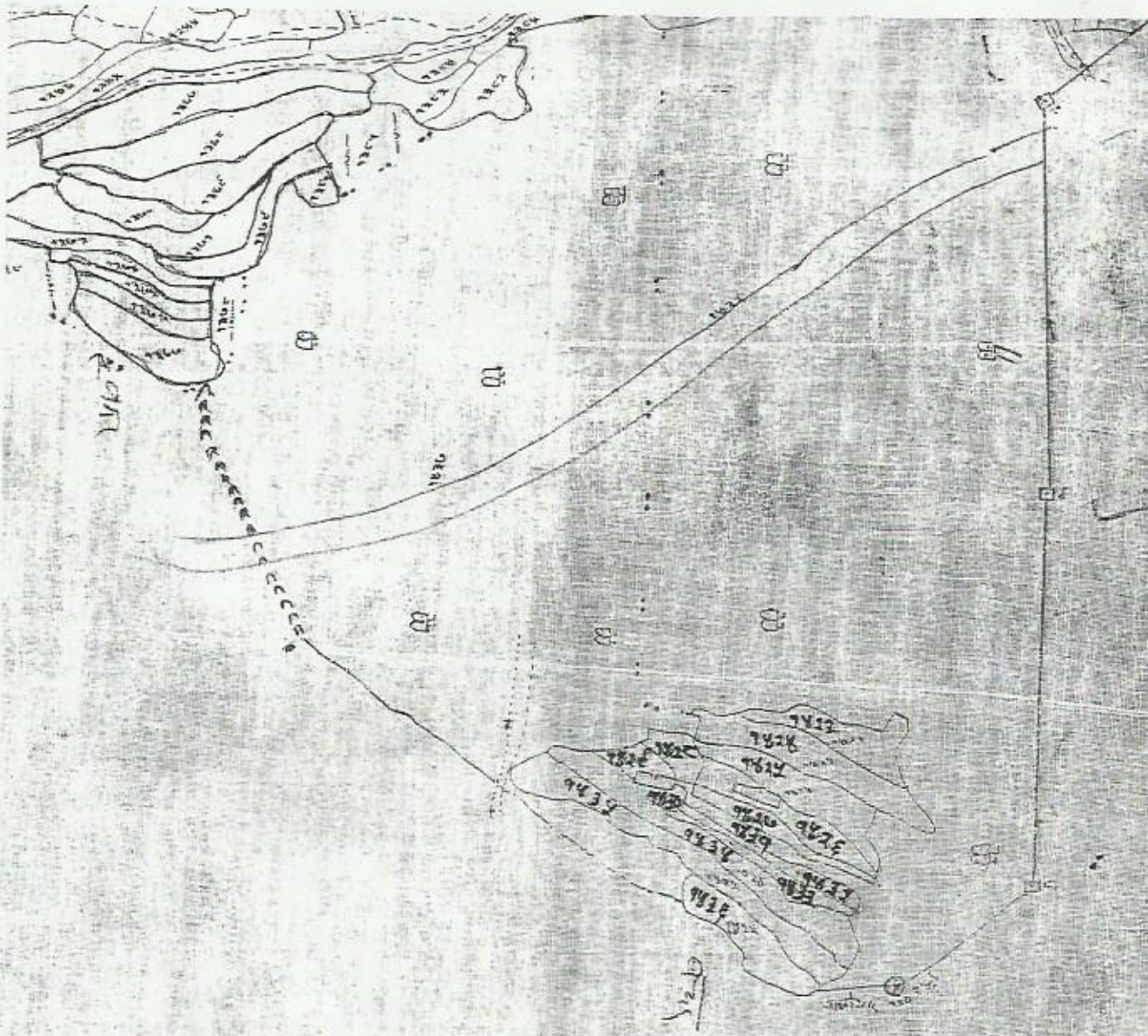
कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के
अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण
हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

104



अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

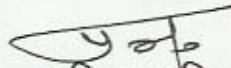
अधिशाली अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लो० नि० वि०

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण पत्र

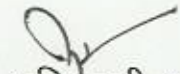
परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दधौली के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.54 हेक्टेयर नाप वनभूमि की आवश्यकता है, इस भूमि की लागत, 30000.00 प्रति नाली की दर से कुल रु0 330000.00 निर्धारित है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


पटवारी


तहसीलदार
(सदर)
चमोली

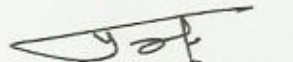

सुपरजिलाधिकारी,
चमोली

गैर वानिकी एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का प्रमाण पत्र

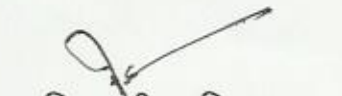
परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दधौली के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.66 हे० सिविल वनभूमि की क्षति पूर्ति वृक्षारोपण लोक निर्माण विभाग के व्यय से अवनत वन भूमि के दुगने क्षेत्र में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण करा दिया जायेगा, तथा जो भी धनराशि वृक्षारोपण के लिये निर्धारित की जायेगी, लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा।

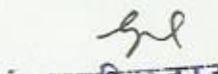

अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


पटवारी

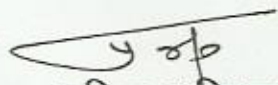
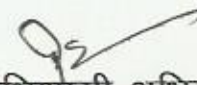

तहसीलदार
(सदर)
चमोली


उपजिलाधिकारी,
वन विभाग
चमोली

शर्त सहमति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

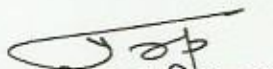
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दषोली के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु ली गयी सिविल/वन पंचायत वन भूमि हस्तांतरण हेतु भारत सरकार, राज्य सरकार व वन विभाग द्वारा लगाई गयी सम्पूर्ण शर्तें लोक निर्माण विभाग को मान्य हैं ।


अमीन
कनिष्ठ अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

भूमि सम्बन्धित प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

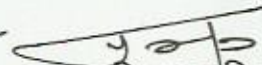
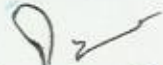
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दषोली के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्ताव में दर्शायी गयी भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि नहीं पड़ती है। वांछित वन भूमि न्यूनतम है।


अमीन
कनिष्ठ अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

सिविल/आरक्षित/वन पंचायत वन भूमि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.66 हे० सिविल/वन पंचायत वनभूमि ली गई है, उसको मोटर मार्ग/मार्ग निर्माण के प्रयोजन हेतु संस्तुति की जाती है।


अमीन
कनिष्ठ अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

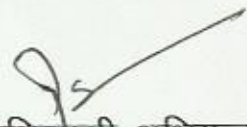
पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशोषी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर